वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

www.antrix.gov.in

निदेशक मंडल	श्री राकेश शशिभूषण (01 जून, 2016 से) डॉ. वि. एस. हेगड़े (31 मई 2016 तक) डॉ. वी. के. डढ़वाल (04 जून, 2016 तक) श्री ए. विजय आनंद डॉ. एम. अन्नादुरई डॉ. वाई.वी.एन. कृष्णमूर्ति श्री सी.एम. साने श्री अरुण बालकृष्णन (09 जून, 2016 तक) श्री वाई. एस. मैय्या (27 जून, 2016 तक) प्रो. देवांग वी. खख्खर (09 जून, 2016 तक) श्री वी. रघु वेंकटरामन (12 सितंबर, 2016 तक)
प्रबंधन दलः	
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	श्री राकेश शशिभूषण (01 जून, 2016 से) डॉ. वि. एस. हेगड़े (31 मई, 2016 तक)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) एवं निदेशक (आर.एस.डी.एस.)	श्री वी. रघु वेंकटरामन (12 सितंबर, 2016 तक)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)	श्रीमती टी. एस. शोभा (14 सितंबर, 2016 से)
निदेशक (तकनीकी एवं सेवाएँ)	श्रीमती टी. एस. शोभा
निदेशक (प्रमोचन सेवाएँ एवं मिशन)	श्री डी. राधाकृष्णन
निदेशक, व्यापार विकास (अंतरिक्षयान उपप्रणाली)	श्री समीर पाल
निदेशक (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व)	डॉ. बी. के. रंगनाथ (31 मई, 2016 तक)
निदेशक (सुदूर संवेदी एवं आँकड़ा सेवाएँ)	श्री ए. अरूणाचलम (02 अगस्त, 2016 से)
वरिष्ठ प्रधान लेखा एवं आं.वि.स.	श्री जी. अलगेसन
सांविधिक लेखा परीक्षक	मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी चार्टरित लेखाकार 49-28-12, सत्यलक्ष्मी विनायक टावर मथुरानगर विशाखापट्टनम 530 016
बैंकर	1) केनरा बैंक आर.एम.वी. एक्स्टें. शाखा बेंगलूरु 560 080 2) भारतीय स्टेट बैंक डॉलर कॉलोनी शाखा बेंगलूरु 560 054 3) भारतीय स्टेट बैंक ओवरसीज शाखा सेंट मार्क्स रोड बेंगलूरु 560 001
पंजीकृत कार्यालय	अंतरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड के निकट बेंगलूरु 560 094

विषय सूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
राजभाषा कार्यान्वयन	2
आरक्षण	4
वार्षिक विवरणी सार	6
सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर रिपोर्ट	13
लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट	15
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध	17
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	22
तुलनपत्र	24
लाभ तथा हानि लेखा	25
तुलनपत्र के भाग के नोट	26
लाभ एवं हानि लेखा के भाग के नोट	31
लेखा विधि नीतियाँ	35
लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट	37
नकद प्रवाह विवरण	48

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणी सहित चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

गत वर्षों की तुलना में इस समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी का कार्य-निष्पादन प्रगति सूचक एवं प्रभावशाली रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी का राजस्व ₹1860.71 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान) से बढ़कर ₹1923.63 करोड़ हो गया है। पिछले वर्ष के ₹205.10 करोड़ की तुलना में कर के पश्चात लाभ ₹209.13 करोड़ रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी ने इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन के अलावा अंतरिक्ष तकनीक को जन कल्याण हेतु उपयोग में लाने हेतु तथा राष्ट्र को आर्थिक रूप से सम्पन्न एवं विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में किया है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

भारत में डी.टी.एच., उद्योग लगातार फल-फूल रहा है और इससे राजस्व-प्राप्ति में कीर्तिमान स्थापित होने के आसार हैं, विशेषकर भारत के बाहर हो रहे अंकीकरण (डिजिटाइजेशन) के कारण। सरकार और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए वीसैट सेवाओं की तीव्रता से बढ़ रही माँगें भी देश में उपग्रह संचार क्षमता के विकास को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, सुदूर संयोजन एवं कोष्ठीय पार्श्व मरम्मत (सेलूलर बैकहॉलिंग) प्रचालन के लिए बैंड पट्टिका गतिशीलता प्राप्त कर रही है जिससे प्रेषानुकर की माँगें बढ़ी हैं। जीसैट-15 संचार उपग्रह प्रमोचन के बाद, सी/ के.यू. बैंड में 24 अतिरिक्त प्रेषानुकरों के कारण अंतर्कक्षीय क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारतीय प्रयोक्ताओं को 24 अतिरिक्त प्रेषानुकर मुहैया कराया है। इसके अलावा, भारतीय उपग्रहों पर स्थानांतरण की सुविधा के लिए इन्सैट-4बी तथा जीसैट -16 पर 22 से अधिक प्रेषानुकरों का प्रावधान किया गया है। इन आबंटनों के साथ, इन्सैट/जीसैट प्रणाली में 151 प्रेषानुकरों से अधिक एवं विदेशी उपग्रह प्रचालकों से 98 प्रेषानुकरों को पट्टे पर लेने के बाद भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाओं का उत्तरोत्तर प्रावधान किया गया है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कम्पनी ने पूरे विश्व के उपग्रह प्रचालकों के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी.) एवं अन्य संबंधित सेवाओं को विश्व के प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रदान करना जारी रखा है। मेसर्स इंटेलसैट के साथ अन्तरण कक्षीय सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) प्रदान करने के करार के साथ आपकी कंपनी ने मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) के भू-स्टेशन के उपयोग से एन.बी.एन.-1ए तथा एस.ई.एस.-9 उपग्रहों के लिए टी.ओ.एस.एस. सहायता प्रदान की है। इस्ट्रैक के भू-स्टेशन का उपयोग केसैट मिशन हेतु टी.टी.सी. सेवा प्रदान करने के लिए किया गया।

प्रमोचन सेवाएँ

वर्ष के दौरान, दिनांक 16 दिसंबर, 2015 को सिंगापुर के 5 सहयात्री उपग्रहों के साथ सिंगापुर के एस.टी. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पी.एस.एल.वी.-सी29/टेलियोस-1 मिशन सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2015 के दौरान पी.एस. एल.वी.-सी30/एस्ट्रोसैट मिशन में, 6 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह को सहयात्री के रूप में प्रमोचित किया गया। इसके साथ, मार्च, 2016 तक पी.एस.एल.वी. की सहायता से 21 देशों के कुल 57 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया।

आई.आर.एस. से संबंधित कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के भू-प्रेक्षण आँकड़ों की आवश्यकताओं की परिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कम्पनी भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह समूह से प्राप्त आँकड़े तथा डाउनलिंक सेवाओं का विपणन कर रही है। मूल्य आधारित महत्वपूर्ण उत्पादों के सृजन के लिए आई.आर.एस. कार्टोसैट-1 अभिलेखित आँकड़ों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान, जर्मनी के जी.ए.एफ. ए.जी. के साथ हुए करार के तहत न्यूजट्रेलिज़, जर्मनी में आँकड़ा-प्रापण एवं संसाधन सुविधा के लिए आई.आर.एस. ओशनसैट-2 को प्रचालनीय बनाया गया। वर्ष के दौरान, (क) ईरान के एन.जी.ओ. में तथा सी.आर.आई.ई. एस. अल्जीरिया में, आई.आर.एस. कार्टोसैट-1 (ख) के. सैट नॉर्वे के लिए आई.आर.एस. रिसैट-1 और (ग) जर्मनी के जी.ए.एफ. ए.जी. के लिए आई.आर.एस. रिसोर्ससैट-2 के लिए सीधा प्रापण एवं संसाधन प्रचालन जारी रखा गया।

बेंगलूरु अंतरिक्ष प्रदर्शनी (बी.एस.एक्स.)-2016

आपकी कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एवं भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के सहयोग से बेंगलूरु अंतरिक्ष प्रदर्शनी (बी.एस.एक्स.) 2016 का पांचवां सम्मेलन और बेंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (बी.आई.ई.सी.), बेंगलूरु में 01 सितंबर से 03 सितंबर, 2016 के दौरान समवर्ती सम्मेलन "विश्व अंतरिक्ष व्यवसाय 2016" आयोजित किया।

सम्मेलन के दौरान सात सत्र चले जिसमें टर्नकी उपग्रह प्रणाली निर्माण, उपग्रह-उपप्रणालियों हेतु नए बाजार से संपर्क करने, उद्योग के जरिए प्रमोचन राकेट उत्पादन, असंयोजितों को जोड़नाः उच्च क्षमता वाले उपग्रहों (एच.टी.एस.) के जरिए संभावना की तलाश, नाविक एवं गगनः भावी अवसर, जी.आई.एस. एवं नौवहन को समर्थ बनाना एवं प्रवणता, अंतरिक्ष स्टार्ट अप्सः उद्योग का नया रूप, जैसे विषयों पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायिकों द्वारा भविष्यानुकूल संचार पर मुख्य संबोधन एवं महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए गए।

विश्व अंतरिक्ष व्यवसाय का उद्घाटन समारोह - सी.आई.आई. के अध्यक्ष द्वारा संबोधन

इस एक्सपो के साथ-साथ आयोजित व्यापार मेले में भारत एवं विदेशों के कई अंतरिक्ष उद्योगों ने भाग लिया। ई.सी.आई.एल., सेंटम, अनंत प्रौद्योगिकी, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रोडक्टस, वायासैट, सी.एन.ई.एस., स्विसनेक्स, एशियासैट, मियासैट इत्यादि को शामिल करते हुए बी.एस.एक्स. 2016 में 70 से भी अधिक प्रदर्शकों ने अपने स्टॉल लगाए थे।

अंतरिक्ष प्रदर्शनी का उद्घाटन

बी.एस.एक्स. 2016 के दौरान, दो नई पहलों, "लघु उपग्रह विकास तथा सौर पैनल एवं सौर पैनल" पर बी2बी बैठक तथा "सैटकॉम सेवा प्रयोक्ता परामर्श" का आयोजन किया गया। बी2बी सत्रों तथा इन्सैट/जीसैट प्रयोक्ता की अंतरिक्ष खंड क्षमता के साथ प्रयोक्ता परामर्श पर उद्योगों से 200 से भी अधिक प्रतिनिधियों की मिली-जुली प्रतिभागिता रही।

बी.एस.एक्स. 2016 में उद्योग पविलियन

दौरों का विनिमय

वर्ष के दौरान विश्व-भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियों और कंपनियों के साथ पारस्परिक दौरे किए गए हैं। इनसे वर्तमान संबंधों को मजबूत बनाने और परस्पर लाभ के लिए नए संबंध कायम करने में भी मदद मिली है। आपकी कंपनी आशावान है कि आगामी वर्षों में ये दौरे और विचार-विनिमय व्यापार संबंधी अवसरों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।

जोखिम प्रबंधन नीति

यद्यपि, वर्तमान में कंपनी किसी भयावह जोखिम से आशंकित नहीं है, तथापि भविष्य में आनेवाली ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग क्रियान्वित करती रही है।

वर्ष के दौरान, ओ.एल.आई.सी. (राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की, वर्ष की नीति निर्धारण के लिए बैठक हुई। सक्षम प्राधिकारियों ने कंपनी में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया। कंपनी ने तीन कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जिससे कार्मिकों ने आवश्यक कुशलता प्राप्त की और इससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिली।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.16 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)	31.03.15 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)
कुल आय	1,92,363.35	1,86,071.00
कुल व्यय	1,59,956.40	1,53,488.45
मूल्यह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**32,406.95**	**32,582.55**
असामान्य मद	-	-
जोड़िए : पिछली अवधि के मद	(509.49)	46.49
घटाइए : मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	(115.35)	(89.08)
घटाइए : कराधान के लिए प्रावधान	(10,935.20)	(9604.92)
घटाइए / जोड़िए : आस्थगित कर	66.43	(2425.16)
वर्तमान वर्ष का अधिशेष	20,913.34	20,509.88
जोड़िए : पिछले वर्ष का अधिशेष	50.63	39.97
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**20,963.97**	**20,549.85**
सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	12,900.00	15,100.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व में स्थानांतरित	584.00	530.10
घटाइएः वर्ष के दौरान सी.एस.आर. पर व्यय	(170.18)	(80.00)
प्रस्तावित लाभांश	6,300.00	4112.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर	1,282.53	837.12
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष	67.62	50.63
पुनर्विनियोजन का कुल	**20,963.97**	**20,549.85**

लाभांश

वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने ₹20 करोड़ के अंतरिम लाभांश की घोषणा की, जो ₹400 लाख की प्रदत्त शेयर पूँजी का 500% है। आपके निदेशकगण ने प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी पर 1075% के अंतिम लाभांश की अनुशंसा कर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस प्रकार, वर्ष 2015-16 के कुल लाभांश 1575% हैं (विगत वर्ष 1028%)। यह 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए करोपरांत लाभ का 30% इंगित करता है जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ./5/2/2016-नीति में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप है।

रिजर्व को हस्तांतरित

पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि से रिजर्व निधि में ₹129.00 करोड़ हस्तांतरित करने के लिए कंपनी ने प्रस्ताव रखा है।

आगामी दृष्टिकोण

कंपनी व्यापार से जुड़े कई अवसरों की संभावनाएँ उत्सुकतापूर्वक तलाश रही है। इस संबंध में, कंपनी (i) दूरसंचार एवं भू-प्रेक्षण उपग्रहों; (ii) उपकरणों/उपप्रणालियों; एवं (iii) संचार तथा अन्य उपग्रहों हेतु नीतभार उपकरणों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बाजार में प्रतिस्पर्धी वरीयता पाने तथा प्लेटफॉर्म एवं नीतभार के लिए उपग्रह और अंतरिक्ष समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग के लिए वचनबद्ध है। अंतरिक्षयान विपणन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएँ हैं, और इन उपलब्ध संभावनाओं को हस्तगत कर लाभ उठाने के लिए आपकी कंपनी सचेष्ट है।

निदेशकगण

सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, दिनांक 01 जून, 2016 से डॉ. वि.एस. हेगड़े, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से कार्य-मुक्त हो चुके हैं। श्री अरूण बालाकृष्णन एवं श्री देवांग वी. खख्खर 09 जून, 2016 से निदेशक के पद से कार्य-मुक्त हो चुके हैं। श्री वाई.एस. मैय्या, 27 जून, 2016 से निदेशक के पद से कार्य-मुक्त हो चुके हैं। दिनांक 01 जून, 2016 से डॉ. वि.एस. हेगड़े के स्थान पर श्री राकेश शशिभूषण ने अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉ. पी.जी. दिवाकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो की नियुक्ति 19 जुलाई, 2016 से निदेशक के रूप में की गई।

बोर्ड, डॉ. वि.एस. हेगड़े, श्री वाई.एस. मैय्या, श्री अरूण बालाकृष्णन एवं श्री देवांग वी. खख्खर द्वारा अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि:

i 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति दर्शाने हेतु विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं;

iii निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv निदेशकों ने "जारी व्यापार" के आधार पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

v निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है;

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी आश्वस्त है कि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान की सफलता के लिए कॉर्पोरेट शासन ही प्रमाणिक प्रतीक है। इसके लिए कंपनी विभिन्न कॉर्पोरेट शासन के नीतिगत उपायों को अपनाने के लिए प्रयासरत है जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

वार्षिक विवरणी सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा 134(3)(ए) के अनुरूप एम.जी.टी.-9 फॉर्म में वार्षिक विवरणी सार संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.)

कंपनी, सी.एस.आर. नीति के अंग के रूप में, सी.एस.आर. पहल को सुचारू रूप से जारी रखे हुए है। सी.एस.आर. क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट में इस क्षेत्र में आरंभ की गई पहल के विवरण अनुसूची-1 में वर्णित हैं।

लेखा परीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक (सी.ए.जी.) ने दिनांक 07 जुलाई, 2015 के पत्र सं. सीए.5/सीओवाई/केंद्र सरकार एंट्रिक्स(1)/185 के माध्यम से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी, चार्टरित लेखाकार, बेंगलूरु को सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। वार्षिक लेखा पर, उनकी रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई "शून्य" टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नित है।

सावधिक जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों का विवरण:

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण

कार्य प्रबंधन हेतु इसरो/ अं.वि. के कार्मिकों के अलावा, एन्ट्रिक्स में कार्मिक के तौर पर कुल सात (7) स्थायी कार्मिक [वर्ग क (तकनीकी)-1, वर्ग क (प्रशासन)-2, वर्ग ख (प्रशासन)-3, वर्ग ग (प्रशासन)-1] कार्यरत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति तीन थी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार है :

विदेशी मुद्रा अर्जन	**राशि (₹) लाख में**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
निर्यात द्वारा	852.59	यू.एस.डी.	12,75,663.99
		यूरो	15,780.00
तकनीकी परामर्शिता द्वारा	1,664.13	यू.एस.डी.	24,98,265.14
		यूरो	32,420.88
प्रमोचन सेवाओं द्वारा	25,050.82	यू.एस.डी.	27,23,490.00
		यूरो	3,23,86,840.00
अन्य सेवाओं द्वारा	368.87	यू.एस.डी.	26,547.32
		यूरो	4,74,885.04
कुल	**27,936.41**	**यू.एस.डी.**	**65,23,966.45**
		यूरो	**3,29,09,925.92**
विदेशी मुद्रा निर्गम	**राशि (₹) लाख में**	**राशि विदेशी मुद्रा में**	
यात्रा के लिए	9.94	यू.एस.डी.	2,305.00
		यूरो	4,347.00
		एस.जी.डी.	10,499.00
आयात लागत के लिए	342.24	यू.एस.डी.	5,15,347.04
तकनीकी सेवाएँ लागत के लिए	52,824.50	यू.एस.डी.	8,05,95,686.25
अन्य भुगतान के लिए	1,134.23	यू.एस.डी.	17,65,772.20
		यूरो	7,981.80
कुल	**54,310.91**	यू.एस.डी.	**8,28,79,110.49**
		यूरो	**12,328.80**
		एस. जी.डी.	**10,499.00**

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से कंपनी को प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं और आगामी वर्षो में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केन्द्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान से कंपनी के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 19 जुलाई, 2016

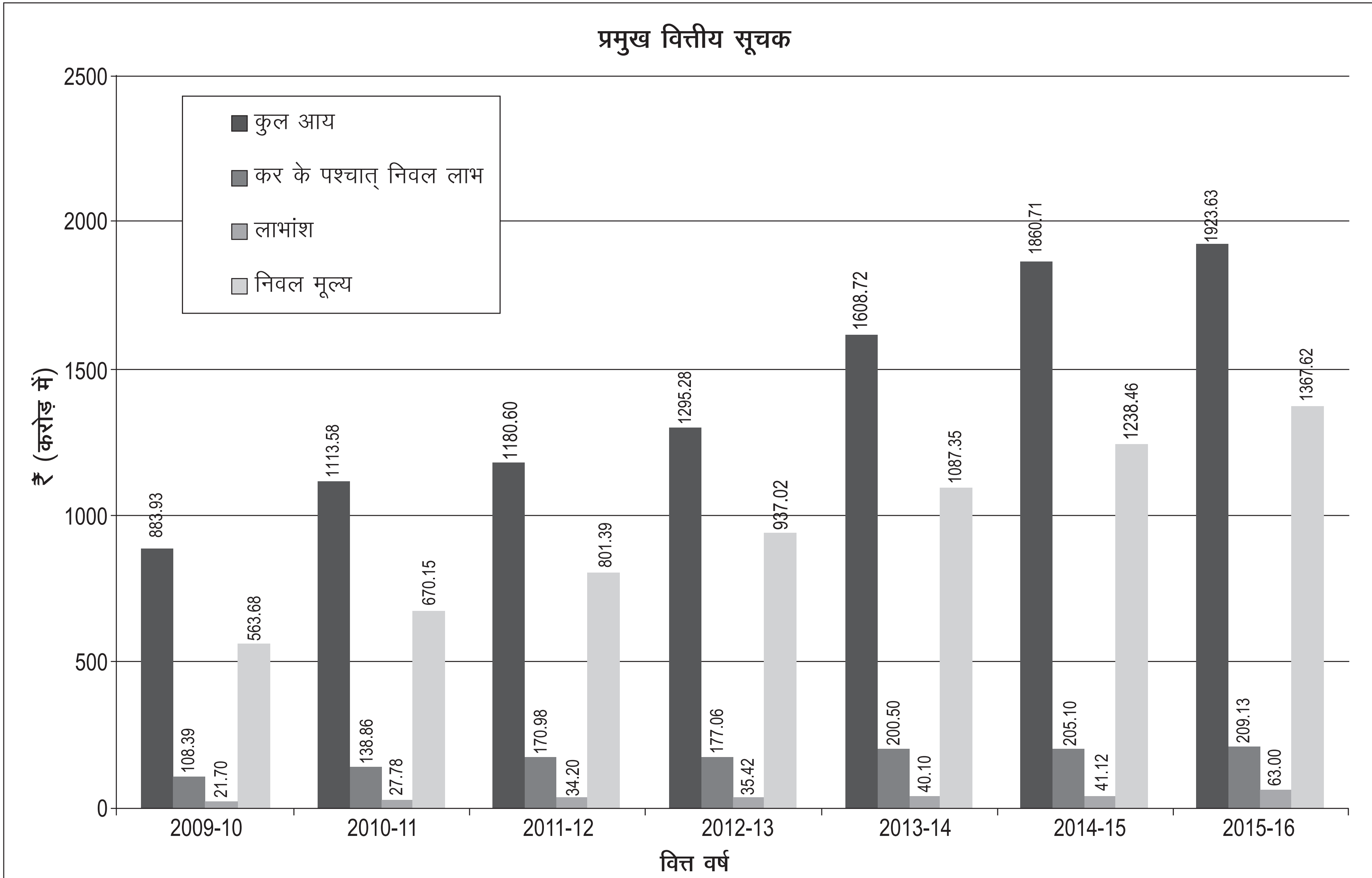

प्रमुख वित्तीय सूचक
2500
2000
1500
1000
500
0
₹ (करोड़ में)
कुल आय
कर के पश्चात् निवल लाभ
लाभांश
निवल मूल्य
883.93
108.39
21.70
563.68
1113.58
138.86
27.78
670.15
1180.60
170.98
34.20
801.39
1295.28
177.06
35.42
937.02
1608.72
200.50
40.10
1087.35
1860.71
205.10
41.12
1238.46
1923.63
209.13
63.00
1367.62
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
वित्त वर्ष

फॉर्म नं. एम.जी.टी.-9

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2016 को समाप्त वित्त वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरणः

i) सी.आई.एन.:- U85110KA1992GOI013570

ii) पंजीकरण तिथिः 28 सितंबर, 1992

iii) कंपनी का नामः एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iv) कंपनी का संवर्ग/उप संवर्गः शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरणः

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूरु - 560094

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध हैः नहीं

vii) निबंधक एवं हस्तानांतरण, एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो - लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	दूर-संचार एवं प्रसारण परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी सेवाएँ	9983325	68.19 %
	भौगोलिक सूचना प्रणाली सेवाएँ	99831414	14.67%
	अंतरिक्ष परिवहन सेवाएँ	99653200	17.14%

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण -

शून्य

IV. शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी विवरणी)

i) वर्गानुरूप शेयर धारिता *(लाख में)*

शेयर धारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए. प्रवर्तक									
(क) वैयक्तिक/एच.यू.एफ.									
(ख) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) निगमित निकाय	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0
(घ) वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ए) (1):-	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0

(2) विदेशी									
(क) अनिवासी प्रवासी भारतीय - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) अन्य-वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) बैंक/ वि.सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ए)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए) उ (ए)(1) अ (ए)(2)	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/वि.सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) उपक्रम पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफ.आइ.आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूँजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (बी) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर संस्थागत									
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) एक लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) एक लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (बी) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (बी)=(बी)(1) + (बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी.जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए +बी +सी)	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0

(ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता *(लाख में)*

क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धारिता के प्रतिशत में परिवर्तन
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	4.00	100%	शून्य	4.00	100%	शून्य	शून्य
	कुल	4.00	100%	शून्य	4.00	100%	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) *(लाख में)*

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	4.00	100%	4.00	100%
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/ अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी	शून्य			
3	वर्ष के अंत में	4.00	100%	4.00	100%

(iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयर धारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा):

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	पहले दस प्रत्येक शेयर धारकों के लिए	**शेयर की सं.**	**कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत**	**शेयर की सं.**	**कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत**
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/ कमी	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि में, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयर धारिता:

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक एवं के.एम.पी. के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ - आबंटन/ अंतरण/ अधिलाभ/स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी)	शून्य			
	वर्ष के अंत में				

(V) ऋणग्रस्तता

बकाया ब्याज/प्रोद्भूत परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज लेकिन अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	शून्य			
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज लेकिन अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

(VI) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक: *(₹ लाख में)*

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		सी.एम.डी.	ई.डी.	ई.डी. (ओ)	—	
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन	24.05	शून्य	18.37		42.42
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान	शून्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ					
2	स्टॉक विकल्प					
3	स्वेट इक्विटी					

4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	शून्य				
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल (ए)	**24.05**	शून्य	**18.37**		**42.42**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन					

बी. अन्य निदेशकों हेतु पारिश्रमिकः (₹ लाख में)

क्रम सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशकों के नाम**		**कुल राशि**
		श्री अरुण बालकृष्णन	प्रोफे. देवांग खख्खर	
	1. स्वतंत्र निदेशकगण • बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	1.50	0.45	1.95
	• कमीशन	शून्य		
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य		
	कुल (1)	1.50	0.45	1.95
	2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण • बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य		
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी)=(1+2)	1.50	0.45	1.95
	कुल प्रंबधकीय पारिश्रमिक	-	-	44.37
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी.एम.डी./प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी. के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों हेतु पारिश्रमिक

क्रम सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति**			
		सी.ई.ओ.	कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	कुल
1	1. सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	शून्य			
2	स्टॉक विकल्प	शून्य			
3	स्वेट इक्विटी	शून्य			
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...	शून्य			
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य			
	कुल	शून्य			

(VII) शास्ति/दंड/संयोजित अपराधः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित शास्ति/ दंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी./एन.सी. एल.टी./ न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					
बी. निदेशकगण					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					
सी. भुगतान नहीं करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					

सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर रिपोर्ट

1) **कंपनी की सी.एस.आर. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

कंपनी की सी.एस.आर. नीति कंपनी की वेबसाइट वेब-लिंक: http://www.antrix.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

2) **सी.एस.आर. समिति की संरचना**

प्रो. दिवांग वी खख्खर (निदेशक, आई.आई.टी. बम्बई एवं निदेशक, एंट्रिक्स बोर्ड)।

डॉ. वी.के. डढ़वाल (निदेशक, एन.आर.एस.सी. एवं निदेशक, एंट्रिक्स बोर्ड)।

श्री वी. रघु वेंकटरामन (कार्यकारी निदेशक (प्रचालन), एंट्रिक्स बोर्ड)।

3) **विगत तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत कर पूर्व लाभ**

औसत निवल लाभ: ₹29190.61 लाख

4) **प्रस्तावित सी.एस.आर. व्यय (विगत तीन वित्त वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ का 2%)**

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा सी.एस.आर. क्रियाकलापों हेतु ₹584 लाख का व्यय अपेक्षित है।

5) **वित्त वर्ष के दौरान सी.एस.आर. पर व्यय किए जाने का ब्योरा**

क. वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले कुल व्यय: ₹584 लाख

ख. व्यय नहीं की गई राशि, यदि कोई हो: ₹413.82 लाख

ग. वित्त वर्ष के दौरान जिस प्रकार व्यय किए गए, उनका ब्योरा तालिका-1 में दिया गया है।

- डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुरूप, संबंधित परियोजना के मद में किए जाने वाले व्यय के लिए लेखा में परियोजना-वार प्रावधान किया गया है।

6) **यदि कंपनी विगत तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत या उसके कुछ अंश को व्यय करने में असफल रही है तो कंपनी अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय नहीं करने के कारणों का उल्लेख करेगी।**

क) निर्दिष्ट सी.एस.आर. क्रियाकलाप, विभिन्न चरणों में क्रियान्वित हो रहे हैं। अत:, 2016-17 के दौरान वास्तविक नकद प्रवाह अपेक्षित है।

ख) क्रियान्वयन एजेंसियों/ अंत प्रयोक्ताओं के लिए कुछ कार्यक्रम अंतिम चरण में हैं।

7) **पुरस्कार**: एंट्रिक्स को दिल्ली प्रबंधन संघ द्वारा **"उत्कृष्ट सी.एस.आर. परियोजना पुरस्कार - 2016"** से पुरस्कृत किया गया।

"स्वच्छ विद्यालय अभियान" कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्तियां सरकारी विद्यालयों को सौंपना

सी.एस.आर. गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य चिकित्सालय संस्थान का दौरा

तालिका-1. : वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों के कार्यान्वयन/ निधि आबंटन का ब्योरा

क्र. सं.	सी.एस.आर. परियोजना/ क्रियाकलाप चिह्नित/ क्रियान्वित	क्रियाकलाप में शामिल क्षेत्र	क्रियान्वयन का क्षेत्र 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) जिला/ राज्य	व्यय राशि (बजट) परियोजना-वार (₹)	परियोजना पर व्यय राशि 1) प्रत्यक्ष 2) अतिरिक्त खर्च	संचयी व्यय रिपोर्टिंग अवधि तक	व्यय की गई राशि : प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	टिप्पणी
1	19 सरकारी विद्यालयों में 42 शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	मालूर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	62 लाख	61.90 लाख	61.90 लाख	सुलभ द्वारा	क्रियाकलाप पूर्ण
2	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम सामग्री एवं सहायक सामग्री का वितरण	समाज कल्याण	अन्य - हासन जिले का अरसीकेरे एवं चेन्नरायपट्टण तालुक, कर्नाटक	41 लाख	28.28 लाख	28.28 लाख	ए.एल.आई.एम.सी.ओ. -सी.पी.एस.ई. द्वारा	क्रियाकलाप पूर्ण
3	स्वच्छ गंगा परियोजना हेतु योगदान	स्वच्छ भारत मिशन	अन्य: राष्ट्रीय नदी गंगा	50 लाख	50 लाख	50 लाख	नई दिल्ली मंत्रालय को सीधा अंशदान	क्रियाकलाप पूर्ण
4	राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन हेतु योगदान	समाज कल्याण	अन्य: राष्ट्रीय स्तर	30 लाख	30 लाख	30 लाख	नई दिल्ली मंत्रालय को सीधा अंशदान	क्रियाकलाप पूर्ण
5	शौचालय का निर्माण: 21 सरकारी विद्यालयों में और अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थानों पर 6 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य लाभ	अन्य: चिक्कबल्लपुर	236.67 लाख	शून्य	शून्य	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज संगठन (एन.जी.ओ.) द्वारा	क्रियाकलाप जारी
6	इंदिरा गांधी अस्पताल में बच्चों के लिए शौचालय परिसर का निर्माण	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य लाभ	स्थानीय: बेंगलूरु शहर	20.62 लाख	शून्य	शून्य	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज संगठन (एन.जी.ओ.) द्वारा	क्रियाकलाप जारी
7	ग्राम को गोद लेना	ग्रामीण विकास	अन्य: ब्रह्मसांद्रा गांव, सिरा तालुक, तुमकुरु जिला, कर्नाटक	381 लाख	शून्य	शून्य	बी.ए.आई.एफ. नामक एन.जी.ओ. द्वारा कार्यान्वयन	क्रियाकलाप शुरू किया जाना है
8	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम सामग्री एवं सहायक सामग्री का वितरण	समाज कल्याण	अन्य - सुल्लूरपेटा मंडल निल्लूर जिला, आं.प्र.	50 लाख	शून्य	शून्य	ए.एल.आई.एम.सी.ओ. -सी.पी.एस.ई. द्वारा	क्रियाकलाप शुरू
9	गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए दो शिरोपरि टैंकों का निर्माण	पेय जल	कडापात्रा पंचायत के दमराया एवं पेमाडु हेमलेट, निल्लूर जिला	40 लाख	शून्य	शून्य	सीधे शार द्वारा	क्रियाकलाप शुरू
10	मल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) की व्यवस्था	स्वच्छता	अन्य: हिरेमठ संस्थान विद्यापीठ ट्रस्ट, भाल्कि, बीदर जिला	30 लाख	शून्य	शून्य	सीधे एन.आर.एस.सी., हैदराबाद द्वारा	क्रियाकलाप शुरू
			कुल	941.29 लाख	170.18 लाख	170.18 लाख		

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की संलग्न वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2016 तक का तुलनपत्र, और लाभ तथा हानि का विवरण एवं प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

<u>वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी:</u>

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों की तैयारी की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जो सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांत के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पठ्य नियम 7 में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा-विधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखा-विधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों।

<u>लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:</u>

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणों पर विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा-विधि एवं लेखा परीक्षा तथा उन बातों का ख्याल रखा है जिसे विहित अधिनियम एवं नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के तहत शामिल करना जरूरी था।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत उल्लिखित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और अपेक्षित आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें ताकि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हों।

किसी भी लेखा परीक्षा में, राशियों के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण जुटाने तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए निष्पादन-प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या भूलवश दी गई तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है। वैसे भी, जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं वित्तीय विवरणों की स्पष्ट प्रस्तुति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आरेखन पर विचार करते हैं न कि यह विचार रखने के लिए कि कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता है या नहीं। लेखा परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा-विधि नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा-विधि आकलनों की तर्कसंगतता, साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि जो लेखा-विधि प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय विवरणी पर अपने लेखा परीक्षा संबंधी विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

<u>मंतव्य:</u>

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर वित्तीय लेखा भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धांतों एवं अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करते हैं:-

- *क) 31 मार्च, 2016 तक, कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति तुलनपत्र के रूप में।*
- *ख) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त लाभ को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में।*
- *ग) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष में नकद प्रवाह को नकद प्रवाह विवरण के रूप में।*

<u>तथ्यात्मक महत्ता:</u>

हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

- *(क) नोट पी (1) (i) (क) (iii) - आकस्मिक देयता के बारे में जो मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी के विरूद्ध दायर किए गए दावे से संबंधित विधिक कार्यवाही के परिमाण से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करता है।*
- *(ख) नोट सं. 21 - ग्राहकों से जमा सुनिश्चितता की अनुपलब्धता, सुनिश्चितता प्राप्त ग्राहक खातों के लंबित सामंजस्य के संबंध में।*

(ग) नोट सं. 23 - अप्रदत्त विवादित के.वी.ए.टी. देयता से संबंधित आगे दिए जाने वाले ब्याज का अप्रकटीकरण जिस कारण आकस्मिक देयता की न्यूनोक्ति के बारे में।

(घ) नोट सं. 25 - सरकारी विभागों / संगठनों से दीर्घ लंबित बकाया जिससे प्रावधान की अनिश्चितता परिलक्षित होती है, यदि कोई आवश्यक हो, के बारे में।

उपर्युक्त मामलों में हमारा मंतव्य अर्हताप्राप्त नहीं है।

<u>अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:</u>

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अनुलग्नक-क में विवरण प्रस्तुत है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं प्राप्त किया है;

ख) हमारे विचार से, कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी लेखाओं के अनुरूप है।

घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पठ्य नियम 7 के अनुरूप है।

ङ) कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं.-जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार, धारा 164 (2) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए "अनुबंध-ख" में हमारे अलग से प्रस्तुत रिपोर्ट का संदर्भ लें। एवं

छ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार,

   i) कंपनी के अपनी वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। - वित्तीय विवरणी के नोट-पी का संदर्भ लें।

   ii) व्युत्पन्न संविदा जिसके लिए भविष्य में कोई भौतिक हानि सहित कोई दीर्घावधि संविदा कंपनी के पास नहीं है; और

   iii) कंपनी के पास कोई राशि नहीं है जिसे निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित किया जाए।

3. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथापेक्षित, हम अनुबंध-ग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विशिष्ट मामलों की विवरणी, प्रस्तुत करते हैं।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकर
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस.

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी. रंगा)
स.सं. 22649

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 19 जुलाई, 2016

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का 'अनुबंध-क'

(अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद -I से संदर्भित)

(i) स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में:

क) कंपनी ने, अधिकांश मामलों में अपनी स्थाई परिसंपत्ति के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देते हुए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखा है।

ख) उचित अंतराल पर कंपनी प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थाई परिसंपत्ति की भौतिक जाँच हो चुकी है। हमें जानकारी दी गई है कि जाँच के दौरान सूची से मिलान करते समय कोई कमी नहीं पाई गई है।

ग) हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण मिले हैं तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, अं.वि., भारत सरकार के साथ पट्टे पर जमीन का करार अपंजीकृत है।

(ii) वस्तुसूची के संदर्भ में, चूँकि कंपनी एक सेवा उन्मुख उपक्रम है अत: कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है।

(iii) हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत भागीदारों या अन्य दलों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के उपबंध (iii) (क), (iii) (ख) तथा (iii) (ग) कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(iv) हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के तहत ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी प्रतिभूति नहीं दिया है।

(v) कंपनी ने, वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है। हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 73 से 76 तक के प्रावधानों या किसी अन्य संबंधित प्रावधानों एवं स्वीकार की जाने वाली जमा से संबंधित, यथा संशोधित, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्णित लागत अभिलेख के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी एक सेवा उन्मुख कंपनी है और अतएव इस प्रकार के लागत अभिलेख लागू नहीं हैं।

(vii) सांविधिक बकायों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार,

(क) कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, केंद्रीय बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्द्धित कर, उपकर तथा उचित प्राधिकरणों के साथ कोई अन्य सांविधिक बकाया सहित गैर-विवादित सांविधिक बकाया को जमा करने में सामान्यतया नियमित रही है। हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2016 तक के लेखाओं के अनुसार, जब से देय है, तब से 6 महीने की अवधि से अधिक कोई गैर-विवादित सांविधिक बकाया बाकी नहीं है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं मूल्य संवर्द्धित कर जैसे अधोलिखित बकाये कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं:-

क्रम सं.	परिनियम के नाम	बकाया के प्रकार	राशि (₹ लाख में)	अवधि जिसके लिए यह बाकी है	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1.	वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर	294.02	01-07-2012 से 30-09-2014 तक	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायालय (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूरु
2.	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	14,683.09	01-04-2005 से 31-07-2008 तक	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय
3.	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	27,429.82	01-08-2008 से 31-03-2014 तक	माननीय कर्नाटक के सर्वोच्च न्यायालय
4.	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी.	96,415.06	01.04.2010 से 31.03.2014 तक	माननीय कर्नाटक के सर्वोच्च न्यायालय

(viii) हमारे मत से तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो बैंक/ वित्तीय संस्थानों से कोई राशि उधार ली है और न ही, कोई डिबेंचर जारी किया है। यह वाक्यांश लागू नहीं है।

(ix) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण पत्रक सहित) द्वारा धन उगाही नहीं की है और बैंको तथा वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण नहीं लिया है।

(x) हमारी पुष्ट जानकारी एवं विश्वास तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना या तो कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा नहीं घटित हुई है।

(xi) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, धारा 197 लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(xii) हमारे मत से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं। जहाँ, लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा, यथापेक्षित वित्तीय विवरणी इत्यादि में ऐसे अंतरण उल्लिखित किए गए हैं।

(xiv) कंपनी ने, वर्ष के दौरान, कोई अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थानन या पूर्णत: या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते।

(xv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों से कंपनी ने नकद के अलावा कोई अंतरण नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xv) लागू नहीं होता ।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I 'क' के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकर
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस.

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी. रंगा)
स.सं. 22649

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 19 जुलाई, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय लेखा के लेखापरीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्यों में व्यापार का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (दिशा निर्देश नोट) पर आई.सी.ए.आई - द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 140(10) के तहत विहित लेखा परीक्षण मानक के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है और दोनों भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों तथा दिशा निर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित किए गए हैं या नहीं, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण निष्पादित करें।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय नियंत्रण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण एवं उनकी प्रभावोत्पादकता प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम या आकलन कि एक भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय, जिसमें धोखाधड़ी या भूल के कारण वित्तीय विवरणी पर भौतिक गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम का आकलन शामिल है, पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किया है वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण मत प्रस्तुत करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी होती हैं। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि अभिलेखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनरूप तैयार किए जाते हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोक थाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती है जिसका वित्तीय विवरणी पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप

जोखिम भरा है। इस कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

योग्य मत

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारे लेखापरीक्षण पर आधारित 31 मार्च, 2016 तक अधोलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

(क) करार के नवीनीकरण में देर।

(ख) ग्राहकों से बकाया की प्राप्तियों के मॉनीटरन पर जोर देने की आवश्यकता।

(ग) वित्तीय आँकड़ों के आपदा वसूली प्रबंधन का अभाव।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में, "भौतिक कमजोरी' एक कमी या कमियों का योग होती है जिसके कारण ऐसी उचित संभावना बनती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम विवरणी को भौतिक गलतबयानी से बचाया नहीं जा सकता या समय पर उसकी पहचान नहीं हो सकती।

हमारे मत से, भौतिक कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों पर उपरिवर्णित नियंत्रण मापदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि के सिवाय, कंपनी ने, सभी भौतिक अर्थों में, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पर्याप्त अनुरक्षण किया है और भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशा निर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

हमने, कंपनी की 31 मार्च, 2016 की वित्तीय विवरणी में हमारे लेखापरीक्षण में ऊपर चिह्नित एवं रिपोर्ट की हुई भौतिक कमजोरी की प्रकृति के निर्धारण, समय और लेखापरीक्षण में प्रयुक्त जाँच की सीमा पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी की वित्तीय विवरणी के बारे में हमारे मत पर कोई प्रभाव नहीं डालती।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकर
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस.

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी. रंगा)
स.सं. 22649

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 19 जुलाई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षा हेतु अनुबंध - ग

	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश	
	प्रश्न	**लेखापरीक्षक की टिप्पणी**
1.	क्या कंपनी के पास क्रमश: पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टे पर जमीन के लिए स्वामित्व अधिकार/ पट्टा करार है? यदि नहीं, तो कृपया पूर्णस्वामित्व एवं पट्टे पर की जमीन के क्षेत्रफल का उल्लेख करें जिसके लिए स्वामित्व अधिकार/ पट्टा करार उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.), भारत सरकार से पट्टे पर ली गई जमीन है जिस पर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन कार्यालय निर्मित है और कंपनी के पास अं.वि. के साथ किया गया करार है।
2.	कृपया बताएँ कि ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका कारण तथा शामिल राशि का उल्लेख करें।	वर्ष के दौरान ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तीसरे पक्ष के पास रखी वस्तुसूची एवं सरकार या अन्य प्राधिकृत संस्था से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति के उचित अभिलेख अनुरक्षित हैं?	तीसरे पक्ष के पास कोई वस्तुसूची रखी हुई नहीं है। सरकार या प्राधिकृत संस्था से कोई उपहार/अनुदान के रूप में परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकर
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस.

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी. रंगा)
स.सं. 22649

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 19 जुलाई, 2016

दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड**, के वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। दिनांक 19.07.2016 की उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में ऐसा करने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है। यह पूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य सबंधी कागजात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाविधि रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है। मेरी लेखा-परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत हो या सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी हो।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-
(नन्दना मुनिषी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19.09.2016

विस्तृत वित्तीय विवरणी

31.03.2016 के अनुसार तुलनपत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2016 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2015 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I.	**इक्विटी एवं देयताएँ:**			
	(1) शेयरधारकों की निधि:			
	(क) शेयर पूँजी	क	400.00	400.00
	(ख) रिजर्व तथा अधिशेष	ख	1,37,501.54	1,24,170.73
	(2) दीर्घकालीन देयता:			
	(क) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		1,085.93	1,152.35
	(ख) अन्य दीर्घकालावधि देयताएँ	ग	63,252.55	76,806.42
	(ग) दीर्घकालावधि प्रावधान	घ	49.19	29.99
	(3) चालू देयताएँ:			
	(क) व्यापार देय		71,007.01	56,197.37
	(ख) अन्य चालू देयताएँ	ङ	12,762.24	35,567.11
	(ग) अल्पकालावधि प्रावधान	च	5,177.36	4,950.98
	कुल		**2,91,235.82**	**2,99,274.95**
II.	परिसम्पत्ति			
	(1) दीर्घकालीन परिसंपत्ति			
	(क) स्थायी परिसंपत्ति			
	(i) मूर्त परिसंपत्ति	छ	1,430.33	1,523.22
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	ज	2.32	4.21
	(ख) दीर्घकालावधि ऋण एवं अग्रिम	झ	69,245.29	68,741.38
	(2) चालू परिसंपत्ति			
	(क) चालू परिसंपत्ति	ञ	-	-
	(ख) व्यापार प्राप्तियाँ	ट	50,086.18	67,147.15
	(ग) नकद एवं बैंक शेष	ठ	1,51,890.35	1,34,328.95
	(घ) अल्पकालावधि ऋण एवं अग्रिम	ड	8,983.38	16,400.47
	(ङ) अन्य चालू परिसंपत्ति	ढ	9,597.97	11,129.57
	कुल		**2,91,235.82**	**2,99,274.95**
	नोट क से ढ तक इस तुलनपत्र के अभिन्न भाग है।			

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी.रंगा)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 22649

हस्ता/-
(वी.रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

31.03.2016 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2016 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2015 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	1	1,79,508.72	1,71,755.69
II	अन्य आय	2	12,854.63	14,315.31
III	**कुल राजस्व**		**1,92,363.35**	**1,86,071.00**
IV	व्यय			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	3	1,57,923.48	1,48,755.17
	(ii) कर्मचारी लाभ व्यय	4	403.95	336.65
	(iii) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्ययः			
	- चालू वर्ष		115.35	77.66
	- विगत वर्ष		-	8.14
	- धारित प्रारंभिक आय के प्रति सी.ए.2013/ए.एस.6 की अनुसूची-II के अनुसार समायोजन		-	3.28
	(iv) अन्य व्यय	5	1,628.97	4,396.63
	कुल व्यय		**1,60,071.75**	**1,53,577.53**
V	पूर्वावधि मद, असामान्य मद एवं कर से पहले लाभ (III-IV)		32,291.60	32,493.47
VI	पूर्वावधि मद (व्यय)/(आय)	6	(509.49)	46.49
VII	असामान्य मद (आय)		-	-
VIII	कर से पहले लाभ (V+VI+VII)		31,782.11	32,539.96
IX	कर व्यय			
	(i) चालू कर			
	क) चालू वर्ष		(11,100.00)	(8,670.10)
	ख) पहले के वर्ष		164.80	(934.82)
	(ii) आस्थगित कर	7	66.43	(2,425.16)
X	**चालू प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ** (VIII-IX)		**20,913.34**	**20,509.88**
XI	प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय :			
	प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करने हेतु अंश (न्यूमरेटर) के रूप में उपयोग की गई राशिः		20,913.34	20,509.88
	प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय की गणना करने हेतु हर (डिनोमिनेटर) के रूप में उपयोग किए गए शेयरों की संख्या :		4,00,000	4,00,000
	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य ₹ में		100	100
	प्रति इक्विटी शेयर से प्राप्त मूल्य तथा मिश्रित आयः		5,228	5,127
	नोट सं 1 से 7 इन लाभ तथा हानि लेखा के समेकित भाग ण एवं त के अनिवार्य भाग हैं।			

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी.रंगा)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 22649

हस्ता/-
(वी.रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

31.03.2016 को तुलनपत्र के भाग के रूप में नोट

(₹ लाख में)

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03.2016को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2015 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
A	**शेयर पूँजी**			
	इक्विटी			
	(क) प्राधिकृत			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि	लाखों में	10,000	10,000
	(ख) जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त नकदः			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	4,00,000	4,00,000
	(ii) शेयरों की राशि	लाखों में	400	400
	(ग) प्रत्येक शेयर का सममूल्य	₹	100.00	100.00
	(घ)(i) रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया शेयरों की संख्या	सं.	4,00,000	1,00,000
	(ii) वर्ष के दौरान आबंटित बोनस शेयरों की सं.	सं.	-	3,00,000
	(iii)रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की सं.	सं.	4,00,000	4,00,000
	(ङ) प्रत्येक वर्ग के शेयर से जुड़े हुए अधिकार, अधिमान तथा प्रतिबंध जिसमें लाभांश के बँटवारे एवं पूँजी के प्रतिदान पर प्रतिबंध शामिल है।		**इक्विटी शेयरः** कंपनी के अंतर्नियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर धारकों के एक शेयर के एवज में एक मत के मताधिकार सहित), सभी अधिमान एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक महासभा में घोषणा पर निर्भर करता है। पश्च कर लाभ का न्यूनतम 30% लाभांश के रूप में भारत सरकार को वितरित किया जाता है एवं पूँजी का प्रतिदान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।	**इक्विटी शेयरः** कंपनी के अंतर्नियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर धारकों के एक शेयर के एवज में एक मत के मताधिकार सहित), सभी अधिमान एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश, वार्षिक महासभा में घोषणा पर निर्भर करता है। पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% लाभांश के रूप में भारत सरकार को वितरित किया जाता है एवं पूँजी का प्रतिदान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

	(च) धारित शेयरों की सं. का उल्लेख करते हुए कंपनी के 5 % से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक धारक		प्रत्येक 100 रूपए के सभी 4,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर शत-प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति एवं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार (भारत सरकार) द्वारा धारित है।	प्रत्येक 100 रूपए के सभी 1,00,000 प्रदत्त इक्विटी शेयर शत-प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति एवं उनके प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार (भारत सरकार) द्वारा धारित है।
ख	**रिजर्व तथा अधिशेषः**			
	(क) सामान्य रिजर्वः			
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि		1,23,395.00	1,08,595.00
	घटाइएः बोनस शेयर जारी होने के कारण शेयर पूँजी में अंतरण		-	(300.00)
	जोड़िएः चालू वर्ष के लाभ से अंतरण		12,900.00	15,100.00
	रिपोर्टिंग अवधि की अंत में बकाया राशि		**1,36,295.00**	**1,23,395.00**
	(ख) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप निधिः			
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि		725.10	275.00
	जोड़िएः चालू वर्ष के लाभ से अंतरण		584.00	530.10
	घटाइएः वर्ष के दौरान भुगतान		(170.18)	(80.00)
	रिपोर्टिंग अवधि की अंत में बकाया राशि		**1,138.92**	**725.10**
	(ग) अधिशेषः			
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बकाया राशि		50.63	39.98
	जोड़िएः चालू वर्ष का लाभ		20,913.34	20,509.87
	जोड़िएः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप हेतु व्यय		170.18	80.00
			21,134.15	**20,629.85**
	घटाइएः			
	सामान्य रिजर्व में अंतरण		(12,900.00)	(15,100.00)
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व में अंतरण (सी.एस.आर. एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप हेतु बजट - आबंटन)		(584.00)	(530.10)
	भुगतान किया गया अनंतिम लाभांश		(2,000.00)	-
	भुगतान किए गए वितरित लाभ (अनंतिम) पर कर		(407.15)	-
	प्रस्तावित अंतिम लाभांश		(4,300.00)	(4,112.00)
	वितरित लाभ (अंतिम) पर कर		(875.38)	(837.12)
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि		67.62	50.63
			1,37,501.54	**1,24,170.73**
(ग)	**अन्य दीर्घावधि देयताएँ**			
	(क) अन्य वाणिज्य देय		14.90	14.90
	(ख) अन्य		63,237.65	76,791.52
			63,252.55	**76,806.42**
(घ)	**दीर्घावधि प्रावधान**			
	(a) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
	(i) उपदान के लिए प्रावधान		20.98	12.63

	(ii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		28.21	17.36
			49.19	**29.99**
(ङ)	**अन्य चालू देयताएँ:**			
	(क) ग्राहकों से अग्रिम		8,709.04	8,782.77
	(ख) सांविधिक देयताएँ		2,977.15	861.64
	(ग) आयकर (आकलित) देय		-	737.37
	(घ) अग्रिम के रूप में प्राप्त आय		-	22,869.49
	(ङ) व्यय के लिए लेनदार		567.94	1,163.61
	(च) अन्य देयताओं के लिए लेनदार		508.12	1,152.23
			12,762.25	**35,567.11**
(च)	**अल्पावधि प्रावधान:**			
	(क) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		1.50	1.50
	(ख) उपदान के लिए प्रावधान		0.48	0.35
	(ग) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान		4,300.00	4,112.00
	(घ) वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान		875.38	837.13
			5,177.36	**4,950.98**
(छ)	**मूर्त परिसंपति:**			
	(i) (क) भवन		1,237.21	1,297.86
	(ख) फर्नीचर		171.10	189.14
	(ग) कम्प्यूटर		7.52	14.81
	(घ) कार्यालय उपकरण		13.72	20.29
	(ड) संचारजाल उपकरण		0.78	1.12
			1,430.33	**1,523.22**
	(ii)व्यापार के संयोजन द्वारा योग, अधिग्रहण तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्यस तथा हानिकारक क्षति/प्रतिवर्तन को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल व निवल राशि का समाधान		इस नोट के अनुबंध को देखें	इस नोट के अनुबंध को देखें
(ज)	**अमूर्त परिसंपत्ति:**			
	(i) (क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		2.32	4.21
	(ii)व्यापार के संयोजन द्वारा योग, अधिग्रहण तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्यस तथा हानिकारक क्षति/प्रतिवर्तन को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग की सकल व निवल राशि का समाधान		इस नोट के अनुबंध को देखें	इस नोट के अनुबंध को देखें
(झ)	**दीर्घावधि ऋण:**			
	(असुरक्षित - खरे माने गए)			
	(क) सुरक्षा जमा		5,013.99	5,013.99
	(ख) कर्मचारियों के लिए अग्रिम		0.59	0.26
	(ग) कर्मचारियों के लिए अग्रिम पर जमा ब्याज		0.05	0.13
	(घ) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम		1.23	1.11
	(ड) कर - वापसी बकाया		11,289.65	15,482.78
	(च) विरोध के तहत कर भुगतान		13,660.43	8,845.09
	(छ) वाणिज्य लेनदारों को अग्रिम		37,274.14	39,392.72
	(ज) व्यय के लिए अग्रिम		5.21	5.30
			67,245.29	**68,741.38**
(ञ)	**चालू निवेश**		-	-

(ट)	**व्यापार प्राप्तियाँ :**			
	(क) भुगतान की तिथि से छः महीने से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्तियाँ			
	(i) सुरक्षित-खरे माने गए		1,107.89	708.28
	(ii) असुरक्षित-खरे माने गए		24,377.85	24,838.54
	(iii) संदिग्ध माने गए		4,841.91	4,625.55
			30,327.65	**30,172.37**
	घटाइएः संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान		(4,841.91)	(4,625.55)
			25,485.74	**25,546.82**
	(ख) अन्य ऋण			
	(i) सुरक्षित-खरे माने गए		8,041.01	9,678.44
	(ii) असुरक्षित-खरे माने गए		16,559.43	31,921.89
			24,600.44	41,600.33
			50,086.18	**67,147.14**
(ठ)	**नकद एवं बैंक शेष**			
	(i) नकद एवं नकद समकक्षः			
	(क) बैंक में शेष		8,795.94	9,843.68
	(ख) नकद		0.17	0.13
	(ग) कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद		0.09	0.09
	(ii) अन्य बैंक शेष			
	(क) 12 महीने या उससे कम समय में परिपक्व होने वाली बैंक में 3 महीने से अधिक की जमा राशि		84,200.00	1,17,000.00
	(ख) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाला बैंक जमा		55,670.00	3,700.00
	(ग) लाभांश भुगतान के लिए चिह्नित बैंक में शेष		0.05	0.05
	(घ) सी.एस.आर. एवं एस.ए. के लिए चिह्नित बैंक में शेष		411.58	195.84
	(ड) जारी प्रत्याभुति के विरूद्ध प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा के बदले में बैंक में रखी गई राशि		2,812.52	3,589.16
			1,51,890.35	**1,34,328.95**
(ड)	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिमः**			
	(असुरक्षित-खरे माने गये)			
	(क) व्यय के लिए अग्रिम		81.41	58.49
	(ख) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम		8,863.48	16,284.59
	(ग) अन्य वसूलियाँ		38.49	57.39
			8,983.38	**16,400.47**
(ढ)	**अन्य चालू परिसंपत्ति**			
	(असुरक्षित-खरे माने गये)			
	(क) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज		6,887.34	7,452.39
	(ख) निविष्ट सेवा कर		2,710.63	3,677.18
			9,597.97	**11,129.57**

नोट - छ का अनुबंध - मूर्त परिसंपत्ति (रुपये लाख में)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	सकल निरूद्ध (लागत)						मूल्यह्रास [उपयोगी अवधि में (एस.एल.एम.)]								निवल मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.15 के अनुसार	घटक मूल्य अंतर हस्तांतरित	जोड़	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन	घटक मूल्य ह्रास हस्तांतरित	31.03.16 के अनुसार	31.03.15 तक	अंतर हस्तांतरित घटक मूल्य	वर्ष के लिए	पिछले वर्ष के लिए	प्रारंभिक अवधारित आय (ओ.आर.ई.) में समायोजन	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन	बाह्य हस्तांतरित घटक मूल्य	31.03.16 तक	31.03.16 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार
1	भवन																
(i)	भवन - आर.सी.सी. फ्रेम संरचना	1,445.97	-	4.39	1.67	515.61	933.08	149.42	-	14.47	-	-	0.17	53.28	110.44	822.64	1,296.55
(ii)	भवन - वातानुकूलन प्रणाली	-	95.20	-	-	-	95.20	-	9.84	6.92	-	-	-	-	16.76	78.44	-
(iii)	भवन - इलेक्ट्रिकल प्रणाली	-	294.40	-	-	-	294.40	-	30.42	36.25	-	-	-	-	66.67	227.73	-
(iv)	भवन - एलिवेटर	-	37.10	-	-	-	37.10	-	3.83	2.70	-	-	-	-	6.53	30.57	-
(v)	भवन - जल प्रणाली	-	64.46	-	-	-	64.46	-	6.66	4.68	-	-	-	-	11.34	53.12	-
(vi)	भवन - वूडन फलोरिंग प्रणाली	-	24.45	5.61	-	-	30.06	-	2.53	3.57	-	-	-	-	6.10	23.96	-
(vii)	भवन (फेंस) - परिसर गेट	1.63	-	-	-	-	1.63	0.51	-	0.41	-	-	-	-	0.92	0.71	1.12
(viii)	भवन अस्थायी संरचना (वूडन सेक केबिनेट)	2.71	-	-	-	-	2.71	2.52	-	0.15	-	-	-	-	2.66	0.05	0.19
	उप कुल	**1,450.31**	**515.61**	**10.00**	**1.67**	**515.61**	**1,458.64**	**152.45**	**53.28**	**69.15**	**-**	**-**	**0.17**	**53.28**	**221.42**	**1,237.22**	**1,297.86**
2	फर्नीचर और उपकरण	298.39	-	7.95	-	-	306.34	109.25	-	25.99	-	-	-	-	135.25	171.09	189.13
3	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण	76.37	-	1.16	-	-	77.53	61.55	-	8.46	-	-	-	-	70.01	7.52	14.82
4	कार्यालय उपकरण	42.17	-	0.81	-	-	42.98	21.89	-	7.37	-	-	-	-	29.26	13.72	20.28
5	संचारजाल उपकरण	1.61	-	-	-	-	1.61	0.49	-	0.34	-	-	-	-	0.83	0.78	1.12
	कुल	**1,868.85**	**515.61**	**19.92**	**1.67**	**515.61**	**1,887.10**	**345.63**	**53.28**	**111.31**	**-**	**-**	**0.17**	**53.28**	**456.77**	**1,430.33**	**1,523.22**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	**1,854.41**	**-**	**120.64**	**106.19**	**-**	**1,868.86**	**355.27**	**-**	**73.05**	**8.14**	**3.28**	**94.11**	**-**	**345.63**	**1,523.22**	**1,499.14**

नाटः 1) व्यापार संयोजन तथा हानिकारक क्षति/ प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है।

2) भवन का निर्माण अं.वि., भारत सरकार द्वारा वार्षिक किराये के आधार पर पट्टे पर दी गई भूमि पर, किया गया है। प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए या किसी बढ़ाई गई अवधि तक के लिए दि. 01.02.2009 से 10 वर्ष की और अतिरिक्त अवधि के लिए पट्टे की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी।

3) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। में किए गए सुधार के अनुसार, 01 अप्रैल, 2015 से या उसके बाद आरंभ होने वाले वित्त वर्षों से संबंधित वित्तीय लेखा के लिए अनिवार्य घटक लेखा भवन के लिए उसी वर्ष क्रियान्वित किए जाते है। तथा ऐसे घटक भवन के विस्तृत शीर्ष के तहत उल्लिखित किए जाते हैं। भवन का घटक मूल्य निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग, इसरो मुख्यालय द्वारा दिए गए विवरण पर आधारित है।

नोट - ज का अनुबंध - अमूर्त परिसंपत्ति (रुपये लाख में)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	सकल निरूद्ध (लागत)						लेखा नीति मानक ए.एस. 26 के अंतर्गत परिशोधन (सरल रेखा पद्धति)								निवल मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.15 के अनुसार		जोड़	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन		31.03.16 के अनुसार	31.03.15 तक		वर्ष के लिए	पिछले वर्ष के लिए	प्रारंभिक अवधारित आय (ओ.आर.ई.) में समायोजन	निपटान/ बहिष्कृत/ समायोजन		31.03.16 तक	31.03.16 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	13.49		2.15	-		15.64	9.28		4.04	-	-	-		13.32	2.32	4.21
	कुल	**13.49**		**2.15**	**-**		**15.64**	**9.28**		**4.04**	**-**	**-**	**-**		**13.32**	**2.32**	**4.21**
	पिछले वर्ष के आंकड़े	**26.25**		**5.64**	**18.41**		**13.49**	**16.20**		**4.61**	**-**	**-**	**11.53**		**9.28**	**4.21**	**10.05**

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा के भाग के रूप में नोट

(₹ लाख में)

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03.2016 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2015 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
1	**प्रचालनों से राजस्वः**			
	(क) उत्पादों की बिक्रीः			
	(i) निर्यात		897.87	1,343.42
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल लाभ/(हानि) तथा निर्यात से संबंधित अंतरण		12.50	(3.35)
			910.37	**1,340.07**
	(ii) अंतर्देशीय बिक्री		**16,785.30**	**20,991.55**
	(ख) सेवाओं की बिक्रीः			
	(i) विदेशी परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		13.07	210.16
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल प्राप्ति/(हानि) तथा एफसीएस से संबंधित अंतरण		(0.10)	-
			12.97	**210.16**
	(ii) अंतर्देशीय परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		**811.28**	**2,806.42**
	(ग) अन्य प्रचालनात्मक राजस्वः			
	(1) विदेशी प्राप्तियाँः			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		1,597.84	1,330.03
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल प्राप्ति/(हानि) तथा एएफआर से संबंधित अंतरण		30.05	9.59
			1,627.89	**1,339.62**
	(ii) मेजबान सुविधा प्राप्तियाँ		23,076.77	25,776.16
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल प्राप्ति/(हानि) तथा एचएफआर से संबंधित अंतरण		236.87	2,108.19
			23,313.64	**27,884.35**
	(iii) अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		8.03	10.05
	विदेशी मुद्रा विनिमय पर निवल प्राप्ति/(हानि) तथा एसएससीआर से संबंधित अंतरण		(0.02)	0.14
			8.01	**10.19**
	(iv) निर्यात प्रोत्साहन		0.39	60.80
	(2) अंतर्देशीय प्राप्तियाँ			
	(i) अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		1,36,038.87	1,17,112.53
			1,79,508.72	**1,71,755.69**
2	**अन्य आय**			
	(क) ब्याज से प्राप्त आय			
	(i) बैंक में जमा राशि पर		11,247.86	11,523.51
	(ii) कर्मचारियों को अग्रिम पर		0.01	0.02
	(iii) व्यापार - प्राप्तियों पर		130.00	1,432.81
	(iv) करों के पूर्व भुगतान पर		439.65	469.55
	(ख) निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या/हानि		-	-

	(i) म्यूचुअल फंड निवेश पर दीर्घावधि पूँजीगत लाभ		-	536.02
	(ii) म्यूचुअल फंड निवेश पर अल्पावधि पूँजीगत लाभ		-	95.98
	(ग) म्यूचुअल फंड निवेश पर लाभांश प्राप्तियाँ		635.84	804.14
	(ध) विदेशी मुद्रा पर निवल लाभ/(हानि) तथा बकाया देयताओं एवं परिसम्पत्ति से संबंधित अंतरण		(47.57)	(1,005.52)
	(ड) विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ		114.89	-
	(च) देयता जिसको आगे वापस करने की आवश्यकता न हो		194.56	16.22
	(छ) संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान जिसमें वापस करने की आवश्यकता न हो		139.04	432.59
	(ज) विविध आय		0.35	9.99
			12,854.63	**14,315.31**
3	**प्रचालन से राजस्व की लागत**			
	(क) विक्रय की लागत			
	(i) निर्यात की लागत		673.12	1,046.78
	(ii) अंतर्देशीय बिक्री की लागत		14,260.35	21,031.29
	(ख) सेवाओं की लागत			
	(i) विदेशी परामर्शिता प्राप्तियों की लागत		7.90	151.77
	(ii) अंतर्देशीय परामर्शिता प्राप्तियों की लागत		753.48	2,481.06
	(ग) अन्य राजस्व की लागत			
	विदेशी प्राप्तियों के लिए			
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ		989.73	639.50
	(ii) मेजबान सुविधा प्राप्तियों की लागत		19,188.25	19,009.51
	(iii) अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत		6.83	8.54
	अंतर्देशीय प्राप्तियों के लिए			
	(i) अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत		1,22,043.82	1,04,386.72
			1,57,923.48	**1,48,755.17**
4	**कर्मचारियों के लाभ पर व्यय**			
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक		20.24	19.56
	ई.डी. को पारिश्रमिक		18.07	9.31
	निदेशकों के लिए बैठक-शुल्क		2.23	2.41
	वेतन		48.78	41.66
	कर्मचारी कल्याण		14.99	13.54
	छुट्टी यात्रा रियायत		2.77	2.87
	छुट्टी नकदीकरण का भुगतान		0.20	0.17
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान		10.85	3.99
	उपदान प्रावधान		8.48	6.12
	स्थापना		276.59	236.97
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय		0.75	0.05
			403.95	**336.65**
5	**अन्य व्यय:**			
	यात्रा व्यय		43.51	61.94
	सवारी और टैक्सी भाड़ा		30.83	25.60

	मुद्रण और लेखन सामग्री		8.05	7.62
	संचार संबंधी खर्च		27.03	32.36
	कानूनी शुल्क एवं व्यय		604.96	2,208.92
	व्यावसायिक शुल्क		39.89	28.61
	महसूल तथा कर		0.35	0.71
	स्वच्छ भारत उपकर		149.95	-
	विज्ञापन एवं प्रचार		7.14	14.98
	सदस्यता एवं अभिदान		3.32	3.49
	संगोष्ठी, सम्मेलन तथा बैठक संबंधी व्यय		4.77	11.06
	प्रदर्शनी व व्यवसाय मेला		-	46.56
	स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री से हानि		-	1.10
	बहिष्कृत स्थायी परिसंपत्ति		1.50	15.05
	भूमि पट्टे का किराया		0.10	0.10
	वर्ष के दौरान दिए गए आयकर निर्धारण आदेश के अनुरूप पिछले वर्ष में प्राप्त ब्याज पर कर की वापसी		-	134.75
	करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज		72.37	211.32
	बैंक प्रभार		19.33	12.25
	बैंक गारंटी तथा एल. सी. शुल्क		32.74	26.75
	मरम्मत एवं अनुरक्षण - अन्य		32.80	16.44
	लेखा परीक्षण के लिए भुगतान			
	- लेखापरीक्षकों के रूप में		3.20	2.15
	- सेवाकर के लिए		0.50	0.27
	- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.30	0.23
	विगत वर्ष के लेखापरीक्षकों को भुगतानः			
	- व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		-	0.46
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों हेतु व्यय			
	- स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान		50.00	-
	- ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में स्वच्छता - 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' हेतु व्यय		61.90	-
	- गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान के लिए योगदान		30.00	30.00
	- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपकरण एवं सहायता हेतु व्यय		28.28	-
	- जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री राहत कोष में बाढ़ राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए योगदान		-	50.00
	विविध व्यय		20.75	102.39
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान		355.40	1,351.52
			1,628.97	**4,396.63**
6	**पूर्वावधि मद**			
	पूर्वावधि मदों में जमा			
	अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		-	297.50

	प्रतिवर्तित अंतर्देशीय बिक्री की लागत		11.16	-
	प्रतिवर्तित अंतरिक्ष खंड शुल्क लागत		-	10.16
	प्रतिवर्तित परामर्शिता प्राप्तियों की लागत		6.31	-
	प्रतिवर्तित अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियों की लागत		4.67	-
	प्रतिवर्तित आतिथ्य सुविधा प्राप्तियों की लागत		4.30	29.59
			26.44	**337.25**
	पूर्वावधि मदों में नामे			
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		310.21	-
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित अभिगम शुल्क प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		7.79	264.20
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित अंतर्देशीय बिक्री प्रतिवर्तित		18.46	-
	पिछले वर्षों के लेखा-विधित परामर्शिता प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		6.97	-
	अंतर्देशीय बिक्री की लागत		8.55	-
	अंतरिक्ष खंड शुल्क प्राप्ति की लागत		40.85	-
	आतिथ्य सुविधा प्राप्ति की लागत		8.11	2.09
	अभिगत शुल्क प्राप्ति की लागत		-	5.06
	व्यवसाय संवर्धन व्यय		84.69	-
	यात्रा व्यय		-	2.62
	पिछले वर्षों में लेखा-विधित अभिगम ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिवर्तित		50.30	-
	कानूनी शुल्क		-	2.50
	प्रमोचन प्रचालन सेवा के लिए सेवा कर		-	12.05
	स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री से हुई हानि		-	2.24
			-	-
			535.93	**290.76**
	निवल जमा		-	**46.49**
	निवल नामे		**509.49**	**-**
7	**कर व्यय:**			
	(i) आस्थगित कर			
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)		66.95	319.23
	वर्ष के दौरान प्रतिलोम आस्थगित कर (व्यय/बचत)		(0.52)	(2,744.39)
			66.43	**(2,425.16)**

नोट - ओ

लेखाविधि संबंधी नीतियाँ

1) **सामान्य:**

मौलिक लेखाविधि मान्यताएं एवं भारत में सामान्य तथा स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों (जी.ए.ए.पी.) और कम्पनी अधिनियम, 2013 में अधिसूचित लेखाविधि मानक के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत वित्तीय लेखा तैयार की जाती है।

2) **आय:**

(i) बिक्री:

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि, भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपुर्दगी के लिए चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी। और, यदि सुपुर्दगी संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ:

(क) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण एवं निर्माण कार्य:

संविदा (ठेका) में विनिर्दिष्ट लागत के संदर्भ के अनुरूप काम के क्रमवार पूरा होने के बाद ही राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड शुल्क, दूरमिति अनुवर्तन और आदेश, कक्षीय जाँच, आदि:

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क एवं वसूली के अलावा अन्य शुल्क सेवा के पूरा होने पर एकबारगी या आवर्ती सेवा प्रदान करने की संविदा (ठेका) के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) परामर्शिता:

राजस्व, सेवा के पूर्ण होने पर एकबारगी या परामर्शिता संविदा की प्रकृति के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) सम्मिश्र ठेका:

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए राजस्व उपर्युक्त (i) से (iii) की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं।

(v) अन्य आय:

(क) ब्याज:

ब्याज से आय प्रोदभवन के आधार पर स्वीकार की गई है। जबकि, व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय को संविदा के अनुसार समय के समानुपात के आधार पर भुगतान होने पर ही स्वीकार किया जाता है।

(ख) रॉयल्टी:

रॉयल्टी का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा गया है।

(ग) निवेश से प्राप्त लाभांश :

भुगतान पाने के लिए जब कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा-विनिमय में उतार-चढ़ाव :

प्रचालन से प्राप्त राजस्व के संबंधित मूल्य में विदेशी मुद्रा में होनेवाले अंतर को समाहृत किया गया है।

3) **व्यय:**

अं.वि./इसरो को देय निर्यात लागत, विदेशी (अन्य) प्राप्तियाँ, अन्तर्देशीय बिक्री तथा अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियाँ का लेखा-जोखा, अं.वि./इसरो तथा कम्पनी के बीच परस्पर सहमति और स्वीकृति के अनुसार किया गया है।

4) **स्थायी परिसम्पति:**

मूल्यह्रास / ऋण परिशोधन को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर स्थायी परिसंपत्ति का वर्णन किया जाता है।

5) **मूल्यह्रास-ए.एस.6:**

सिवाय अमूर्त परिसंपत्ति के, स्थायी परिसम्पत्ति के लिए मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के तहत प्रदान किया गया है। ₹ पाँच हजार से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मान परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% है और अन्य सभी परिसंपत्ति के लिए शेष मान परिसंपत्ति की मूल लागत का 1% है।

6) **अमूर्त परिसंपत्ति- ए.एस.26 के अन्तर्गत परिशोधन व्यय:**

अमूर्त परिसंपत्ति सरल रेखा विधि के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित की जाती हैं जबकि सॉफ्टवेयर से संबंधित परिसंपत्ति प्रयोग की उपलब्धता की तिथि से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए या फिर अनुज्ञप्ति अवधि या विधिक अधिकारों, इनमें जो भी पहले हो, के तहत निर्धारित अवधि के लिए ही परिशोधित की जाती हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाएगी और यदि पिछले आकलन की तुलना में परिसंपत्ति के वर्तमान उपयोगी जीवन में अपेक्षित अंतर नजर आता है तो परिशोधन की अवधि में यथानुसार बदलाव लाया जाएगा।

7) **मुद्रा दर अन्तरण-ए.एस-11 :**

विदेशी मुद्रा विनिमय में किये गये लेन-देन का लेखा-जोखा अंतरण-दिन के विनिमय दर के आधार पर रखा गया है। लाभ तथा हानि लेखा में धन-राशि प्राप्त करने या उसका भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का हिसाब रखा गया है। वर्षांत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित और आर्थिक परिसम्पत्ति एवं देयताएँ, जिनका निपटान नहीं किया गया, उनका वर्षांत में बंद दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है और सिवाय, संदिग्ध समझे जाने वाले विदेशी मुद्रा अंतर में बचे हुए ऋण जिसे संदिग्ध माने जाने पर विनिमय दर पर उल्लिखित किया जाता है।

8) **उक्त अवधि के लिए लाभ या हानि, पूर्वावधि मद एवं लेखा-विधि नीतियाँ ए.एस.-5 में परिवर्तन:**

एक या अधिक पूर्वावधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय होने वाली भूल या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उद्भूत होनेवाली अवधि पूर्व की मदों को आय एवं व्यय के रूप में तभी स्वीकृत किया जाता है जब आय और व्यय की ऐसी मद प्रत्येक आहरण में ₹2 लाख से अधिक हो जाती है।

9) **परिसम्पत्ति की अपसामान्य हानि - ए.एस.28:**

परिसंपत्ति को अपसामान्य तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति की अग्रेनीत लागत उसके वसूली मूल्य से ज्यादा होती है। इस अपसामान्य हानि को उस वर्ष की लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया जाता है जिस वर्ष की परिसंपत्ति को अपसामान्य माना जाता है। पिछली लेखा अवधि के दौरान पाई गई अपसामान्य हानि को वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर प्रतिवर्तित कर दिया जाता है।

10) **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्ति- ए.एस.-29:**

ऐसे प्रावधान, जिनमें मापन में अनुमान की पर्याप्त निहित मात्रा को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण वर्तमान देयता बनती है और संसाधन का बहिर्गमन संभव होता है। आकस्मिक देयताओं को स्वीकृत नहीं किया गया है परन्तु टिप्पणियों में दिखाया गया है। आकस्मिक परिसंपत्ति को न तो स्वीकृत किया गया है और न ही वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।

11) **संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान:**

संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान सामान्यतया ऐसे ऋणों के लिए किया जाता है जो तीन साल से ज्यादा वर्षों से बकाया हैं सिवाय केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग और केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा देय हैं, जिसके लिए प्रावधान प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

12) **निवेश:**

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, निवेश को "दीर्घकालीन निवेश" तथा "चालू निवेश" में वर्गीकृत किया गया है। चालू निवेश के लिए अग्रेनीत राशि, लागत तथा सही मूल्य से न्यूनतर होता है जिसका निर्धारण व्यक्तिगत निवेश या निवेश के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है न कि समग्र (या वैश्विक) आधार पर। दीर्घकालीन निवेश को लागत के आधार पर अग्रेनीत किया जाता है। हालाँकि, अस्थायी के अलावा, जब दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में ह्रास होता है, तब अग्रेनीत राशि को ह्रास के अनुरूप कम कर दिया जाता है। किसी निवेश को बेचने पर, उसकी अग्रेनीत राशि और बिक्री से प्राप्त धन के अन्तर (लाभ या हानि), निवल व्यय, को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

नोट - पी

लेखा के भाग के रूप में अन्य नोट

(₹ लाख में)

		वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2016 के अंत में राशि	विगत रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2015 के अंत में राशि
1	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:** (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो) i) **आकस्मिक देयताएँ:** *(क) निम्नांकित कारणों से कम्पनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :-*		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय बिक्री कर। *इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू), विरोध के तहत ₹912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹5,000.00 लाख की राशि जमा की गई।*	1,44,440.44	37,321.41
	(ii) माँग की तिथि तक (विगत वर्ष के ब्याज एवं शास्ति सहित) सेवा कर। *इन माँगों के प्रति, विरोध के तहत ₹7,177.78 लाख (वर्तमान एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए देय का भुगतान किया गया।*	7,471.80	5,626.01
	(iii) मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा ₹2,189 लाख (562.50 मिलियन अमरीकी डॉलर, समझौते के अनुसार ₹43.78 की विदेशी मुद्रा विनिमय पर से लागू) के परिनिर्धारित नुकसान की भरपाई तथा 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि तक 3-महीने की छूट देते हुए 4% की दर से ब्याज तथा निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय सुनाया है।	2,46,262.50	2,189.00
	कुल	**3,98,174.74**	**45,136.42**
	(ख) गारंटी:	कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष के एवज में अन्य व्यक्ति को ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।	कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष के एवज में अन्य व्यक्ति को ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:- 1. कारण बताओ नोटिस के प्रति:		
	(i) सेवाकर इसके प्रति, विरोध के तहत ₹233.31 लाख (विगत वर्ष - ₹5,670.13 लाख) की राशि का भुगतान किया गया	235.19	5,964.16
	(ii) विरोध के तहत विवादित सेवाकर के भुगतान की तिथि तक सेवा कर पर ब्याज एवं शास्ति	18,343.50	15,316.77

	2. बकाया तिथि से भुगतान की तिथि तक विरोध के तहत सेवा कर के ऐच्छिक भुगतान पर ब्याज	43.24	43.24
	ii) **प्रतिबद्धताएँ:** (क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधान न किया गया है; (ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ (बिक्री एवं सेवा के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ)	शून्य 1,12,064.58	शून्य 1,14,401.62
2	(i) उक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि (वर्तमान वर्ष के लिए प्रावधान के विरूद्ध ₹2,000.00 लाख की राशि अंतरिम लाभांश के रूप में वितरित की गई थी) (ii) प्रति शेयर संबंधित राशि:	6,300.00 0.02	4,112.00 0.01
3	बोर्ड की राय में, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में, जब उल्लिखित राशि मूल राशि के लगभग बराबर हो तब स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा अन्य किसी परिसंपत्ति का कोई प्रापण मूल्य नहीं होता।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।
4	क) भण्डार व कल-पुर्जों का उपभोग: i) आयातित ii) स्वदेशी प्रापण	दिनांक 01.10.2014 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।	कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार को प्रकटन से छूट के लिए आवेदन किया है।
	ख) वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आइ.एफ. आधार पर निम्नांकित के संबंध में आयात के मूल्य का परिकलन किया जाता है:- I. कच्चा माल; II. घटक एवं कलपुर्जे; III. पूँजीगत माल;	-वही-	-वही-
	ग) वित्त वर्ष के दौरान रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क, ब्याज तथा अन्य मामले की मद में विदेशी मुद्रा में व्यय;	-वही-	-वही-
	घ) वित्त वर्ष के दौरान उपभोग किये गये सभी आयातित कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक तथा इसी तरह उपभोग किये गये सभी स्वदेशी कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में प्रत्येक का प्रतिशत।	-वही-	-वही-
	ङ) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में प्रेषित लाभांश की राशि जिसमें प्रवासी शेयरधारकों की कुल संख्या विशेष तौर से उल्लिखित हो, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश बाकी हो और वर्ष, जिससे लाभांश संबंधित हो।	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-

	च) निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में अर्जित आय का निम्नवत वर्गीकरण:- (i) एफ.ओ.बी. के आधार पर माल के निर्यात का परिकलन;	दिनांक 01.10.2014 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ.46/4/2014-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है।	कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार को प्रकटन से छूट के लिए आवेदन किया है।
	(ii) रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क;	-वही-	-वही-
	(iii) ब्याज एवं लाभांश;	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-
	(iv)प्रकृति के अनुसार इंगित करते हुए, अन्य आय	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-

5. विवादों के विवरण:

क्र. सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम / प्राधिकरण जहां मामला / विवाद लंबित है	31.03.2016 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)	विवाद की स्थिति
1	01.04.2005 से 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. माँग	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने "अगले आदेश तक वसूली नहीं करने" का आदेश दिया है।
2	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुन:आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया)	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय	7,109.80	कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है और कार्यवाही जारी है।
3	आदेश सं. 221736837/ 05.01.16 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय	20,320.02	कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
4	आदेश सं. 259709721 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय	20,577.15	कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
5	आदेश सं. 251709773 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय	23,325.87	कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
6	आदेश सं. 275709811 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय	26,183.62	कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
7	आदेश सं. 232709848 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय	26,328.42	कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
8	"स्थापना एवं प्रारंभ सेवाओं" के तहत टेली-एजुकेशन एवं वीसैट की स्थापना एवं आपूर्ति के लिए सेवाकर की माँग	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	53.00	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है
9	01.10.2003 से 15.05.2008 की अवधि के लिए भारतीय ग्राहकों को विदेशी उपग्रहों को पट्टे पर देने के लिए सेवाकर की माँग	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	3,058.00	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है

10	18/04/2006 से 31/05/2007 तक "टेलीग्राफ सेवाओं" के अंतर्गत 01/06/2007 से 15/05/2008 तक "दूरसंचार सेवाओं" के अंतर्गत शुल्क वापसी प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाता को अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क पर सेवाकर की माँग	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	1,687.95	1,687.95 सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है
11	विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाओं के प्रावधान पर सेवाकर की माँग	बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर विभाग)	2,672.85	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है
12	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिए नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी द्वारा करार रद्द किए जाने और वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी को एस. बैंड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण मेसर्स देवास मल्टी-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आई.सी.सी.) के समक्ष क्षति के लिए उठाया गया मामला।	अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु / दिल्ली उच्च न्यायालय / पेरिस का अपीलीय न्यायालय	उपर्युक्त 1 (I) (a) (iii) तथा (iv) में उल्लिखित 2,46,262.50 (562.50 मिलियन अमेरीकी डॉलर के समतुल्य संविदा विदेशी मुद्रा विनिमय दर ₹43.78 के दर से ₹2,189 लाख की परिनिर्धारित क्षति युक्त	कंपनी ने देवास द्वारा शुरू की गई आई.सी.सी. कार्यवाही तथा देवास द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना पर दिया गया निर्णय करार के अनुरूप नहीं होने पर निषेधाज्ञा लगाने के लिए अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर के समक्ष मध्यस्थता याचिका एवं वाद दायर किया है। कंपनी ने अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश बेंगलूरु न्यायालय में (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता याचिका पर अपनी दलील पूरी कर ली है। दिनांक 14.09.2015 को प्राप्त आई.सी.सी. निर्णय के बाद, जब मामले की सुनवाई 09.10.2015 को होने वाली थी तब कंपनी ने आई.सी.सी. न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर न्यायालय को सूचित करते हुए तथा इस प्रस्ताव को चुनौती देते हुए एक सुधार याचिका दायर की है। देवास ने सुधार याचिका पर अपनी आपत्ति जताई है और कंपनी अपना प्रत्युत्तर दायर करने वाली है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई, 2016 को होना प्रस्तावित है। कंपनी ने आई.सी.सी. के निर्णय को अलग रखने के लिए अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय में मध्यस्थता याचिका दायर की है। देवास ने बंगलूरु नगर सिविल न्यायालय की न्याय-व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न हगाते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया है। कंपनी ने इसका उत्तर दिया है और देवास को उसका प्रत्युत्तर। मामले की अगली सुनवाई 06 अगस्त, 2016 को होना प्रस्तावित है। आई.सी.सी. न्यायाधिकरण ने कंपनी के विरूद्ध दिनांक 14.09.2015 के निर्णय में देवास को 562.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के नुकसान की भरपाई तथा 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि तक 3 महीने की छूट देते हुए 4% की दर से ब्याज तथा निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय सुनाया है।

				आई.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्यों, अन्य सभी चल संपत्ति एवं सभी अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की भी माँग की गई है। देवास ने न्याय व्यवस्था पर अपना तर्क पूरा कर लिया है और कंपनी 22.07.2016 को अपना तर्क प्रस्तुत करने वाली है जब मामले की अगली सुनवाई होगी। देवास ने न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए आई.सी.सी. के निर्णय को अधिसूचना के रूप् में परिवर्तित करने के लिए पेरिस में बाध्यता याचिका दायर किया है। कंपनी ने 09.02.2016 को पेरिस के अपीलीय न्यायालय में अपनी अपील दायर की है। 11.07.2016 से पूर्व एक विस्तृत अपील दायर की जानी है।

6. वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इस प्रकार है:

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर (₹लाखों में)	नामे/ जमा	लाभ और हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते, परिसंपत्ति एवं देयताएँ	47.57	नामे	विविध आय में नामे किया गया
	(1,005.52)	नामे	(विविध आय में नामे किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

7. प्रतिभूति जमा के बदले में तथा जारी गारंटी के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में धारित 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि में, केनरा बैंक में, ₹0.40 लाख (पिछले वर्ष में ₹0.37 लाख) की सावधि जमा शामिल है जो प्रतिभूति जमा के एवज में "सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, जिला-"V" सर्कल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत" है।

8. 4,45,500 यूरो एवं 90,000 अमेरिकी डॉलर के कुल समतुल्य ₹389.71 लाख (पिछले वर्ष 13,00,000 यूरो, 90,000 अमेरिकी डॉलर एवं 26,00,000 यूरो के कुल समतुल्य ₹2,725.13 लाख) की राशि के लिए कम्पनी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी के एवज में कम्पनी ने ₹2812.12 लाख (पिछले वर्ष ₹3,588.79 लाख) सावधि जमा के रूप में बैंक में अमानत के तौर पर जमा किए। हालाँकि कम्पनी, उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर के आधार पर ब्याज अर्जित कर रही है। अभी, ए.एस.-29 में दी गई परिभाषा के आधार पर "प्रावधान" की ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और इस कारण उक्त ए.एस. के अनुच्छेद 66 एवं 67 के अन्तर्गत प्रकटन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।

9. दिनांक 04.09.2015 के अधिसूचना एफ. सं. 1/19/2013-सी.एल-V-भाग द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग के परिमाण एवं समानुपाती मानों की अतिरिक्त जानकारी के प्रकटीकरण से कंपनी को छूट दी है, एवं उत्पादों की संवेदनशील प्रकृति तथा प्रचालन-क्षेत्र के मद्देनजर लेखा विधि मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग के तहत वर्तमान एवं विगत वित्त वर्षों के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

10. उपदान एवं छुट्टी नगदीकरण के प्रावधान लेखाविधि मानक (ए.एस.)-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं और उनका प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

क. उपदान

(i) परिसंपत्ति तथा देयता (तुलनपत्र-स्थिति)

विवरण	31 मार्च 2016 को चालू रिपोर्टिंग अवधि के समापन तक के मान (₹ लाख में)	31 मार्च 2015 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के समापन तक के मान (₹ लाख में)
अनुबंध का वर्तमान मूल्य	21.46	12.98
नियोजित परिसंपत्ति का सही मूल्य	-	-
अमान्य अतीत सेवा लागत	-	-
परिसंपत्ति परिसीमन का प्रभाव	-	-
निवल परिसंपत्ति/(देयता)	(21.46)	(12.98)

(ii) अनुबंध के वर्तमान मूल्य एवं नियोजित परिसंपत्ति पर अनुभवजन्य समायोजन

विवरण	31 मार्च 2016 को चालू रिपोर्टिंग अवधि के समापन तक के मान (₹ लाख में)	31 मार्च 2015 को पिछली रिपोर्टिंग अवधि के समापन तक के मान (₹ लाख में)
नियोजित देयताओं पर (लाभ)/हानि (₹ लाख में)	4.36	1.51
आरंभिक नियोजित देयताएँ का %	33.6%	22.0%
नियोजित परिसंपत्ति पर(लाभ)/हानि	0	0
आरंभिक नियोजित परिसंपत्ति का %	0	0
अगले वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम आकलन		शून्य

(iii) मूल्यांकित लाभ

मूल्यांकित लाभ के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

योजना के प्रकार	सुनिश्चित लाभ	
नियोक्ता का योगदान	100%	
कर्मचारियों का योगदान	शून्य	
उपदान की गणना हेतु वेतन (या मासिक परिलब्धि)	अंतिम आहरित मूल वेतन + महँगाई भत्ता	
उपदान सेवा	अर्ह सेवा के पूर्ण किए गए छः माह	
सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	
निहित अवधि	5 वर्ष	
सामान्य सेवानिवृत्ति का लाभ	अर्ह सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक छः माह की परिलब्धि की एक-चौथाई	
समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/सेवा-समापन/सेवा-परित्याग/सेवा वापसी का लाभ	सामान्य सेवानिवृत्ति के समान	
सेवाकाल में देहावसान का लाभ	सेवाकाल	देय जीवन-लाभ
सामान्य सेवानिवृत्ति एवं सेवा-वापसी के निमित्त लाभ की सीमा	1 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धि का 2 गुना
देहावसान के निमित्त लाभ की सीमा	1 वर्ष और उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धि का 6 गुना
	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धि का 12 गुना
	20 वर्ष एवं अधिक	अर्ह सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक छः माही की मासिक परिलब्धि का आधा
सामान्य सेवानिवृत्ति एवं सेवा-वापसी के निमित्त लाभ की सीमा	मासिक परिलब्धि का अधिकतम 16.5 गुना या ₹10.00 लाख, जो भी कम हो।	

देहावसान के निमित्त लाभ की सीमा	मासिक परिलब्धि का अधिकतम 33 गुना या ₹10.00 लाख, जो भी कम हो।

(iv) वित्तीय मान्यताएँ

मूल्यांकन में प्रयुक्त प्रमुख वित्तीय मान्यताएँ निम्नांकित सारणी में प्रदर्शित हैं:

बट्टा-दर (प्रतिवर्ष)	8.00%	7.80%
वेतन-वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	प्रथम चार वर्षों में 11% एवं तदन्तर 7%	प्रथम चार वर्षों में 11% एवं तदन्तर 7%
महँगाई वेतन बढने की देर (प्रतिवर्ष)	6.40%	N/A
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित दर से प्रतिलाभ (प्रतिवर्ष)	-	-

(v) जनसांख्यिक मान्यताएँ

मृत्यु दर (आइ.ए.एल.एम. 06-08 के % के रूप में)	100%	100%
वापसी दर, आयु-आधारित: (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	5%	5%
31 से 40 वर्ष तक	3%	3%
40 वर्ष से अधिक	2%	2%

(vi) **सदस्यता - स्थिति का सार**

कर्मचारियों की संख्या	7	7
कुल मासिक आय (` लाखों में)	3.20	2.82
औसतन पिछली सेवाएँ (वर्षों में)	8.14	7.14
औसतन आयु (वर्षों में)	38.86	37.86
औसतन बाकी सक्षम जीवन (वर्षों में)	21.14	22.14
व्यतीत वर्षों की संख्या मूल्यांकित	57	50

(vii) **अनुबंध के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (₹ लाखों में) अनुबंध**

आरंभ में अनुबंध के वर्तमान मूल्य	12.98	6.86
ब्याज लागत	1.02	0.64
चालू सेवा लागत	3.27	1.12
लाभ प्रदत्त	0	0
अनुबंध पर बीमांकिक (लाभ)/हानि		4.36
अंत में अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**21.46**	**12.98**

(viii) **नियोजित परिसंपत्ति के उचित मूल्य**

आरंभ में नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
अंत में नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
प्रत्येक वर्ग की नियोजित परिसंपत्ति के उचित मूल्य में शामिल राशि और अन्य अधिकृत संपत्ति या अन्य परिसंपत्ति	शून्य	

(ix) **लाभ तथा हानि लेखा में मान्य व्यय (₹लाखों में)**

चालू सेवा लागत	3.27	1.12
ब्याज लागत	1.02	0.64
अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.19	4.36
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य व्यय	**8.48**	**6.12**

(x) **वर्तमान अवधि के लिए राशि (₹ लाखों में)**

अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि-अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**4.19**	**4.36**
अनुबंध के आरंभिक वर्तमान मूल्य का %	32.3%	63.5%
अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि- नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
नियोजित परिसंपत्ति के आरंभिक उचित मान का %	-	-
अवधि के लिए कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**4.19**	**4.36**
अवधि के लिए मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.19	4.36
अनुबंध के वर्तमान मूल्य पर अनुभवजन्य समायोजन-हानि/(लाभ)	**4.36**	**1.51**

(i) तुलन पत्र में मान्य देयता का परिचालन (₹ लाखों में)

आरंभ में अनुबंध का वर्तमान मूल्य	12.98	6.86
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य व्यय	8.48	6.12
लाभ प्रदत्त	-	-
नियोजित परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिलाभ	-	-
अंत में अनुबंध का वर्तमान मूल्य	**21.46**	**12.98**

(ii) नियोजित परिसंपत्ति के विशेष वर्ग (कुल नियोजित परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में)- शून्य

निवेश/प्रतिभूति	-	-
कुल	-	-

(xi) **कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में अनुबंध के वर्तमान मूल्य का द्विभागीकरण (₹लाखों में)**

चालू देयता (अल्पावधि)	0.48	0.35
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	20.98	12.63
कुल	**21.46**	**12.98**

(xii) **समापन देयता/विच्छिन्न देयता (₹लाखों में)**

विवरण	**31.03.2016 तक की चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान**	**31.03.2015 तक की विगत रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान**
विछिन्न देयता *	15.10	11.68
अनुबंध का वर्तमान मूल्य	21.46	12.98
अनुपात (अनुबंध का वर्तमान मूल्य/ विच्छिन्न देयता)	142%	111%

* विच्छिन्न देयता वह राशि है जो अनुबंधों के तत्काल निपटारे के लिए कर्मचारियों को देय होगी। निहित मानदंड को नजरअंदाज करके इसकी गणना की गई है।

ख) छुट्टी का नकदीकरण-प्रकटीकरण

अनुपूरित अनुपस्थिति से होने वाला व्यय यदि ऐसे आकार, प्रकृति या घटना का होता है, जिसका प्रकटीकरण लेखा विधि मानक सं. 5 या लेखा विधि मानक सं. 18 के तहत संगत है, को छोड़कर, ए.एस.15 (आर.) के अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे किसी विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

11. कॉर्पोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का विवरण:-

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि: ₹584.00 लाख (विगत वर्ष में ₹530.10 लाख)

(ख) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (₹लाखों में)

क्रम सं.	**विवरण**	**आरंभिक शेष**	**प्रावधान**	**व्यय राशि**	**अग्रेणीत शेष**
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	उपर्युक्त (i) के कारणों के अलावा:-				
	2013-14	शून्य	325.00	50.00	275.00
	2014-15	275.00	530.10	80.00	725.10
	2015-16	725.10	584.00	170.18	1,138.92

(ग) लेखा विधि मानक (ए.एस.) 18 के अनुरूप सी.एस.आर. व्यय के संदर्भ में संबंधित पक्ष अंतरण का विवरण। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण- शून्य (विगत वर्ष-शून्य)

12. (क) ए.एस.22 के तहत यथा अपेक्षित आस्थगित कर परिसम्पत्ति के प्रमुख घटकों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

		31 मार्च 2016 तक (₹ लाख में)	31 मार्च 2015 तक (₹ लाख में)
	आस्थगित कर परिसंपत्तिः		
(i)	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,675.79	1,600.90
(ii)	उपदान के लिए प्रावधान	7.43	4.49
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	10.28	6.53
	कुल	**1,693.50**	**1,611.92**
	आस्थगित कर देयताएँः		
(i)	संचयित मूल्यह्रास	33.94	18.80
(ii)	वर्ष के दौरान विरोध के तहत प्रदत्त सेवाकर जिसे लाभ तथा हानि लेखा में नामे नहीं किया गया लेकिन भुगतान वर्ष में धारा 43बी के तहत विगत वर्ष के आयकर गणना विवरणी में कटौती के दावों के रूप में दिखाया गया।	2,745.48	2,745.47
	कुल	**2,779.42**	**2,764.27**
	निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति	**1,085.92**	**1152.35**

(ख) प्रमोचन सेवाओं, विदेशी उपग्रह प्रेषानुकर प्रदाता सेवा, स्थापना एवं प्रारंभ सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं पर ₹7,932.62 लाख के सेवा मूल्यों पर विरोध के तहत प्रदत्त सेवाकर पर ₹2,745.48 लाख का मान्य अस्थगित कर इस वर्ष भी यथावत अग्रसारित हुआ है और तदनुसार कर पश्चात निवल लाभ को उचित स्थान दिया गया है।

13. लेखाविधि मानक ए.एस.- 26 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	क्रय किये गए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ग)	उपयोगी जीवन या उपयोग की गई परिशोधन दरें	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाये गये वर्ष से 5 वर्षों तक
(घ)	उपयोग की गई परिशोधन विधियाँ	सरल रेखा विधि
(ड.)	सकल अग्रेनीत राशि	₹15.64 लाख (विगत वर्ष ₹13.49 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹13.32 लाख (विगत वर्ष ₹9.28 लाख)
(छ)	अवधि के आरंभ और अंत में संचित हानियाँ	शून्य
(ज)	अवधि के आरंभ और अंत में अग्रेनीत राशि का समायोजन	जैसा टिप्पणी-एच के अनुबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।
(झ)	आंतरिक विकास एवं समामेलन द्वारा अलग-अलग दर्शाते हुए योग	₹2.15 लाख में क्रय किया गया सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष ₹5.64 लाख)। कोई सॉफ्टवेयर अंतर्विकसित या समामेलन द्वारा विकसित नहीं किया गया है।
(ञ)	निवृत्तियाँ एवं निपटारे	लागत - शून्य (विगत वर्ष ₹18.41लाख) एवं समानुपाती परिशोधित राशि - शून्य (विगत वर्ष ₹11.53 लाख)
(ट)	अवधि के दौरान लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार्य अपसामान्य हानियाँ (यदि कोई हों)	शून्य
(ठ)	अवधि के दौरान लाभ तथा हानि लेखा में प्रतिकूल अपसामान्य हानियाँ	शून्य
(ड)	अवधि के दौरान स्वीकार्य परिशोधन	₹4.04 लाख (पिछले वर्ष ₹4.61 लाख)
(ढ)	अवधि के दौरान अग्रेनीत राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

14. लेखा संबंधी मानक "ए.एस. 18 संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार डॉ. वि.एस. हेगड़े, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक एवं श्री वी. रघु वेंकटरामन, कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) (विगत वर्ष - श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक - 10 जुलाई, 2014 तक) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं। वर्ष के दौरान उक्त संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है, सिवाय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ उनके अधोलिखित पारिश्रमिक एवं देय लाभ की प्रतिपूर्ति के।

(क) डॉ. वि.एस. हेगडे., अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक:

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2015-16 (₹ लाख में)	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	20.24	19.56
टेलीफोन	0.10	0.77
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	0.10	0.20
परिवहन भत्ता	3.61	3.74
कुल	**24.05**	**24.27**

(ख) श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक (10 जुलाई, 2014 तक):

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2015-16 (₹ लाख में)	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ लाख में)
पारिश्रमिक (वेतन)	शून्य	7.89
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	शून्य	0.00
कुल	**शून्य**	**7.89**

(ग) श्री वी. रघु वेंकटरामन, कार्यकारी निदेशक (प्रचालन):

भुगतान की प्रकृति	वित्त वर्ष 2015-16 (₹ लाख में)	वित्त वर्ष 2014-15 (₹ लाख में) (जनवरी 2015 से)
पारिश्रमिक (वेतन)	18.07	1.42
चिकित्सीय प्रतिपूर्ति	0.30	0.02
कुल	**18.37**	**1.44**

15. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक ए.एस. 28 के अनुसार परिसम्पत्ति के अपसामान्यन की कोई घटना नहीं हुई है।

16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को कोई धन-राशि देय नहीं है।

17. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 से या इसके बाद शुरू होने वाली वित्तीय विवरणी के लिए अनिवार्य कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में सुधार के अनुरूप, मूल्यह्रास के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान भवन हेतु घटक लेखाविधि क्रियान्वित हुई है। जैसा कि यह परिवर्तन सांविधिक है, विगत और वर्तमान मूल्यह्रास पद्धति के अंतर के परिमाणात्मकता को दर्शाया नहीं गया है।

18. तुलनपत्र (अन्य दीर्घावधि देयताएँ) के नोट-सी (ख) में, परियोजना के लिए महत्वपूर्ण ग्राहक से ₹46,428.05 लाख (विगत वर्ष ₹29,107.86 लाख) की राशि का निवल अग्रिम शामिल है।

19. नोट-पी के तहत अन्य प्रतिबद्धता- अन्य नोट सं.1 (II) (ख), ₹2,22,574.06 लाख, (विगत वर्ष ₹2,27,231.35 लाख) की आपूर्ति एवं सेवा के लिए क्रियान्वित राशि के प्रति ₹1,12,064.58 लाख (विगत वर्ष ₹1,14,401.62 लाख) की निवल प्रतिबद्धता है और इन निविदाओं के एवज में ग्राहक से प्राप्त अग्रिम ₹33,081.76 लाख (विगत वर्ष ₹35,077.57 लाख) है।

20. अन्य प्रचालित राजस्व के तहत ₹0.39 लाख (विगत वर्ष ₹60.47 लाख) की निष्पादन प्रोत्साहन-राशि- एक ग्राहक को निर्यातित हायलास उपग्रह के संतोषजनक कार्य निष्पादन के लिए उनसे प्राप्त विदेशी प्राप्तियाँ हैं।

21. कम्पनी ने 31 मार्च, 2015 तक सभी ग्राहकों से शेष-राशि की पुष्टि माँगी है सिवाय उनके जिनके साथ करार बंद हो चुका है; और केवल कुछ ग्राहकों से ही उत्तर प्राप्त हुए थे। ग्राहकों के लेखे में पाए गए अंतर के लिए सामंजस्य प्रगति पर है।

22. कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2016 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है। कंपनी को अब तक पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

23. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. से संबंधित ₹1,44,440.44 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट पी-सं.1(i)(a)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में मांग की तारीख से तुलनपत्र की तारीख तक ब्याज और शास्ति शामिल नहीं है।

24. ₹3,484.53 लाख के सेवाकर / बकाया की प्राप्ति में विलंब के कारण लगाए जाने वाले दंड ब्याज से संभावित आकस्मिक परिसंपत्ति को लेखाविधि मानक - ए.एस. 29 के उपबंध 30 के अनुसार, ऐसे नामे की अनिश्चितता के मद्देनजर और लेखाविधि नीति-नोट-ओ सं. 2(v)(क) के मद्देनजर लेखा में मान्यता नहीं दी गई है।

25. सरकारी विभागों/ संगठनों यथा-मानव संसाधन मंत्रालय, डी.ई.ए.एल. (रक्षा मंत्रालय), दूरदर्शन एवं बी.एस.एन.एल. से ₹9,701.72 लाख के लंबित बकाया के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) / इसरो मुख्यालय, जो इन करारों में एक पक्षकार है, द्वारा बकाये की वसूली के लिए परिचर्चा प्रगति पर है। परिचर्चाओं के परिणाम और अं.वि./ इसरो मु. की सलाह पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

26. दीर्घकालीन परिसंपत्ति-दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम-कर बकाया वापसी जिसके लिए आकलन आदेश प्राप्त हुआ है, के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाये की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार आयकर की वापसी (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	1,287.30	प्राप्त किया जाना है। धारा 154 के अंतर्गत दायर परिशोधन आवेदन तथा धारा 119(2)(बी) के अंतर्गत दायर याचिका सी.बी.डी.टी. के समक्ष लंबित है।
2008-09	1,727.33	प्राप्त किया जाना है। धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आवेदन दायर।
2009-10	437.51	प्राप्त किया जाना है। धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आवेदन दायर।
2010-11	9.14	प्राप्त किया जाना है। धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आवेदन दायर।
2012-13	1,107.86	प्राप्त किया जाना है। धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आवेदन दायर।
2013-14	1,709.29	प्राप्त किया जाना है और संवीक्षा आंकलन लंबित है।
2014-15	3,792.68	प्राप्त किया जाना है और आंकलन पुन:चालू नहीं किया गया है।
2015-16	2,102.97	प्राप्त किया जाना है और आंकलन पुन:चालू नहीं किया गया है।
कुल	**12,174.08**	

आयकर वापसी बकाया टी.डी.एस. प्रमाणपत्र और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान संज्ञापन/सूचना के आधार पर लेखाविधित होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र, जो भी लागू हो, वापसी दावे के अल्प भुगतान के लिए आकलन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया है। लेखा के अनुसार बकाया वापसी एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का समाधान प्रगति पर है। समाधान के पूरा होने और धारा 154 के आवेदन-पत्र के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त स्थान दिया जाएगा। कंपनी का मद है कि समाधान के कारण लाभ और हानि लेखा विवरणी पर इस कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27. लेखा नीति-नोट-ओ सं. 1, 4 एवं 7 में परिवर्तन केवल लेखा के पुनर्लेखन के कारण है और इस कारण वर्तमान वर्ष के प्रचालनों के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

28. वर्तमाना वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रूपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी जरूरत पड़ी, विगत वर्ष के अंकों को पुन:वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी.रंगा)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 22649

हस्ता/-
(वी.रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण
(परोक्ष विधि के अंतर्गत)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए		31.03.2015 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः				
कराधान से पहले निवल लाभ		**31,782.11**		**32,539.95**
निम्न के लिए समायोजन जोड़िए/ (घटाइए)				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	115.35		89.08	
बहिष्कृत स्थायी परिसंपत्ति	1.50		15.05	
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	-		1.09	
किए गए व्यय के लिए प्रावधान (अनावश्यक निवल)	235.69		929.05	
वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा अंतरण हानि	47.57		1,005.52	
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	(635.84)		(804.14)	
बैंक में जमा पर प्राप्त ब्याज	(11,247.87)		(11,523.51)	
देयता के प्रावधान की आवश्यकता नहीं			(16.22)	
म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ		(11,483.60)	(632.00)	(10,936.08)
कार्यरत पूंजी से पहले प्रचालन लाभ		**20,298.51**		**21,603.87**
निम्न के लिए समायोजनः				
कमी/(वृद्धि) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	(503.91)		3,673.83	
कमी/(वृद्धि) व्यापार प्राप्ति	17,060.96		(6,330.93)	
कमी/(वृद्धि) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	8,453.51		-	
कमी/(वृद्धि) अन्य चालू परिसंपत्ति	1,531.61		-	
वृद्धि/(कमी) रिजर्व एवं अधिशेष	(179.64)			
वृद्धि/(कमी) दीर्घावधि देयता	(32,175.22)		(33,676.44)	
वृद्धि/(कमी) दीर्घावधि प्रावधान	19.20		-	
वृद्धि/(कमी) व्यापार देयता	14,809.63		26,655.03	
वृद्धि/(कमी) चालू देयता	(22,804.86)		-	
वृद्धि/(कमी) अल्पावधि प्रावधान	18,720.93	4,932.21	-	(9,678.51)
प्रचालन से जनित नकद		**25,230.72**		**11,925.36**
घटाएंः भुगतान किया गया आयकर		12,136.42		11,686.00
प्रचालन क्रियाकलापों से प्राप्त/ (में प्रयुक्त) निवल नकद		**13,094.30**		**239.36**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद	(22.06)		(126.28)	
स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय	-		0.58	
वर्ष के अंत में बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	-		(1,005.52)	
म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ	-		632.00	
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	635.84		804.14	
निवेश में कमी	-		14,815.97	
बैंक में जमा से उपचित ब्याज में वृद्धि	-		(1,720.72)	

बैंक में जमा से प्राप्त ब्याज	11,247.85		11,523.51	
निवेश क्रियाकलापों से प्राप्त/ (में प्रयुक्त) निवल नकद		**11,861.63**		**24,923.68**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
अंतरिम लाभांश सहित प्रदत्त लाभांश	(6,112.00)		(4,010.00)	
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(1,282.53)		(681.50)	
वित्तीय क्रियाकलापों से प्राप्त/ (में प्रयुक्त) निवल नकद		**(7,394.53)**		**(4,691.50)**
नकद एवं नकद समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि/ (कमी)		**17,561.40**		**20,471.54**
नकद एवं नकद समतुल्य का अथशेष		**1,34,328.95**		**1,13,857.41**
नकद एवं नकद समतुल्य का अधिशेष		**1,51,890.35**		**1,34,328.95**

नोटः

1. लेखा मानक (ए.एस.) 18, के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण से जुड़े सी.एस.आर. व्यय का विवरण, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण शून्य है।

2. सी.एस.आर. क्रियाकलापों के लिए ₹530.10 लाख के प्रावधान से ₹80 लाख की राशि वर्ष के दौरान, निर्माण कार्य, परिसंपत्ति की प्राप्ति के अलावा, सी.एस.आर. क्रियाकलापों हेतु खर्च की जा चुकी थी और वर्ष के अंत तक ₹725.10 की बची जमा राशि अग्रेनीत की गई है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी.राव एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी.रंगा)
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 22649

हस्ता/-
(वी.रघु वेंकटरामन)
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 19.07.2016

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560 094
दूरभाष: +91 80 2217 8302/31/11, फैक्स: +91 80 2217 8337
वेबसाइट: www.antrix.gov.in